राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

एन.यू.एल.एम. के प्रचालन हेतु दिशानिर्देश
सामाजिक संगठन और संस्था विकास
(SM&ID)

सत्यमेव जयते

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

एन.यू.एल.एम. के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश
सामाजिक संगठन और संस्था विकास

विवरण-

घटक१.१- सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण- स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघ ३-३
स्वयं सहायता समूह.. ३-५
क्षेत्र एवं नगर स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के संघ ५-७
स्वयं सहायता समूहों के गठन में संसाधन संगठन........................ ७-१०
सामुदायिक संरचनाओं का एसजेएसआरवाई से एन.यू.एल.एम.में संचरण... ११-११

घटक १.२- सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन
वित्तीय साक्षरता.. ११-१२
संभावित लक्षित लाभार्थियों के सामान्य बचत बैंक खाते खुलवाना........... १२-१३
वहनयोग्य बीमा (स्वास्थ्य,जीवन और पेंशन)................................ १४-१५

घटक१.३- स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघों को आवर्ती निधि सहयोग.......... १५-१५
स्वयं सहायता समूहों को आवर्ती निधि सहयोग............................ १५-१६
पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संघों को आवर्ती निधि सहयोग........................ १६-१६

घटक १.४- नगर आजीविका केन्द्र १७-१७
नगर आजीविका केन्द्र की अवधारणा.................................... १७-१८
स्थानीय नगर निकायों द्वारा सी.एल.सी. की स्थापना हेतु प्रक्रियात्मक कदम. १८-१६
नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्त आवंटन..................... १६-१६
नगर आजीविका केन्द्रों की सेवाएं... २०-२२
नगर आजीविका केन्द्रों का प्रबंधन तथा कार्यान्वयन......................... २२-२३
नगर आजीविका केन्द्रों द्वारा गठबंधन तथा लिंकेजेस........................ २३-२३

उपघटक १.५- सामुदायिक संगठन हेतु स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों का प्रशिक्षण २३-२३

निगरानी एवं मुल्यांकन २४-२४

संलग्नक-१ आदर्श स्वयं सहायता समूह के नियम और कानून.................. २५-३१
संलग्नक-२ क्षेत्र स्तरीय संघो के लिए आदर्श उपविधान (बाइलॉज)............... ३२-३६
संलग्नक-३ एक कार्यात्मक स्वयं सहायता समूह हेतु विवरण सूची................ ४०-४१
संलग्नक-४ एनयूएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए संसाधन संगठनों की नियुक्ति हेतु आदर्श रूपरेखा.................................. ४२-४८
संलग्नक-५ एनयूएलएम के तहत एस.एच.जी. को आवर्ती कोष से सहायता हेतु आवेदन.४६-४६
संलग्नक-६ एनयूएलएम के तहत ए.एल.एफ. को आवर्ती कोष से सहायता हेतु आवेदन..५०-५०
संलग्नक -७ नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव विवरण..................... ५१-५१

ये दिशानिर्देश के केवल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के प्रथम घटक सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के लिए हैं। इन्हें **एन.यू.एल.एम.** के मिशन पत्र/मुख्य दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और **एन.यू.एल.एम.** के अन्य घटकों के परिचालानात्मक दिशानिर्देशों हेतु इनका संदर्भ लिया जा सकता है।

१- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इस आधार पर खड़ा होना चाहिए कि, एक प्रभावशाली और स्थायी गरीबी उपशमन कार्यक्रम हेतु शहरी गरीब परिवारों को स्वनिर्मित संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाना मिशन के लिए महत्वपूर्ण निवेश है। गरीबों की ये संस्थायें ही स्थानीय स्वशासनों, सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं, बैंकों, निजी क्षेत्रों एवं अन्य प्रमुख्य संस्थाओं के साथ भागीदार बन कर शहरी गरीबों को सामाजिक और आर्थिक सेवाएं उपलब्ध करायेंगी।

उपघटक १.१ - सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण-स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघ

२- एन.यू.एल.एम. के तहत शहरी गरीब परिवारों के संगठन हेतु एक त्रिस्तरीय संरचना के संकल्पना की गयी हैं जिसमें आधारभूत स्तर पर स्वयं सहायता समूह, स्लम/वार्ड स्तर पर क्षेत्र स्तरीय संघ और नगर स्तर पर नगर स्तरीय संघ होंगे।

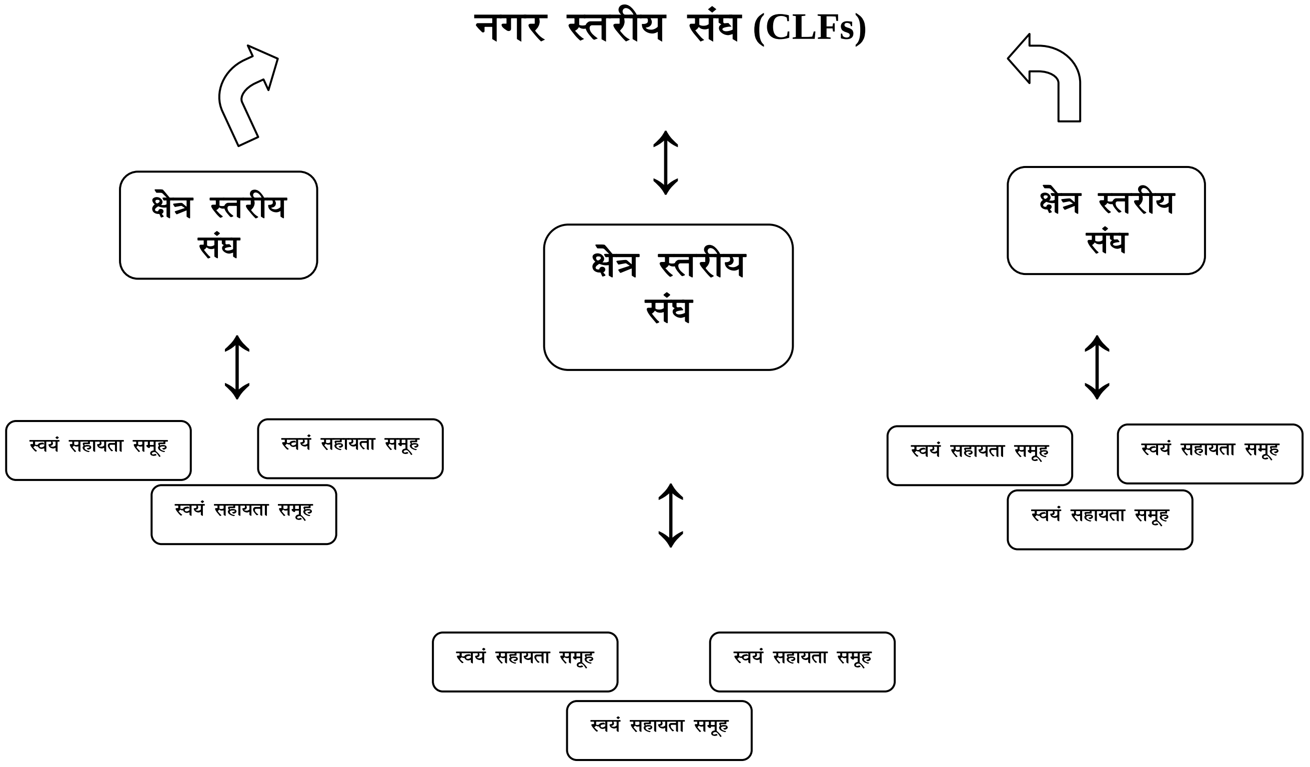

३- **स्वयं सहायता समूह**(SHGs): स्वयं सहायता समूह १०-२० महिलाओं या पुरूषों के ऐसे समूह हैं जो सामूहिक बचत एवं साख द्वारा अपनी जीवन परिस्थियों में सुधार हेतु संगठित होते हैं। ये समूह नियमित मीटिंग/सभा कर समूह की बचत को कोष के रूप में इकत्र करते हैं, जिसका उपयोग सदस्यों को अल्प- आवधिक ऋण देने के लिये किया जाता है। कुछ समय बाद जब सदस्यों की ऋण आवश्यक्ता बढने लगती है तो समूह ऋण हेतु बैंकों से सम्पर्क कर सकतें हैं।

४- **स्वयं सहायता समूह की सदस्यता**: एन.यू.एल.एम. के तहत शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूह निर्मित किये जायेंगे। अगरीब लोगों को भी समसंबन्धों अथवा विशेष कारणों को देखते हुए स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया जा सकेगा। एन.यू.एल.एम. के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूह के कम से कम ७० प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब होने चाहिये। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में १० से २० सदस्य हो सकेंगे और इन समूहों के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन किया जायेगा तथापि विकलांग पुरुषों के स्वयं सहायता समूहों को भी गठित किये जाने की अनुमति होगी। यद्यपि इसका ध्येय/उद्देश्य समस्त शहरी गरीब परिवारों की संगठित करना है तथापि उन क्षेत्रों को पहले लिया जायेगा जहॉ पर शहरी गरीबों का घनत्व अधिक है।

५- **नियम और कानून**: प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को अपने नियम और कानून बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके तहत-

- **५.१** सदस्यता संबंधी मानक
- **५.२** समूह बचत सहित बचत राशि और उसके जमा किये जाने की तिथि संबंधी मानक
- **५.३** स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक पदाधिकारी की भागीदारी
- **५.४** समूह सभा आयोजित किये जाने के मानक, जिसमें समूह सभाओं की संख्या और विशेष सभाओं का आह्वान भी शामिल होगा।
- **५.५** समूह बचत के प्रबंधन सहित एस.जी.एच. सदस्य को दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि, ब्याज दर अदायगी विवरण और ऋण दिये जाने के सामान्य मानकों का निर्धारण।
- **५.६** स्वयं सहायता समूह के बचत खातों के प्रबंधन संबंधी मानक।

- **५.७** सभा मसौदे(मिनट्स), सदस्य पासबुक, बचत एवं ऋण रजिस्टर, समूह पासबुक सहित विभिन्न दस्तावेजों के अनुरक्षण/रखरखाव संबंधी मानक।

५.८ सदस्यता से निष्कासन, सदस्यता हेतु अयोग्यता, नियम- कानूनों में परिवर्तन तथा स्वयं सहायता समूह के विघटन संबंधी मानक।

५.९ समूह के सदस्यों पर दण्ड शुल्क और दण्ड शुल्क की सीमा संबंधी मानक जिसके अर्न्तगत-

अ- सभा में उपस्थित न होना,

ब- बचत की अनियमितता,

स- समय पर ऋण की अदायगी न करना आदि शामिल होना होंगे।

६- स्वयं सहायता समूह के नियम और कानूनों के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए **संलग्न १** में आदर्श नियम और कानून दिये गये हैं। तथापि ये केवल पथ प्रदर्शन हेतु ही दिये गये हैं। स्वयं सहायता समूहों को **पैरा ५** में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप स्वयं अपने नियम और कानून बनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये।

उत्कृष्ट स्वयं सहायता हेतु पांच सूत्र

१. नियमित बचत
२. नियमित सभा
३. नियमित लेख
४. नियमित भुगनान
५. एसएचजी के नियमों और कानूनों के प्रति समर्पण

७- क्षेत्रीय और नगर स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के संघः एक क्षेत्र स्तरीय संघ स्वयं सहायता समूहों का संगठन होगा जिसमें समस्त सदस्य स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि होंगे। जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सहायता प्रदान करना, स्वयं सहायता समूहों के कार्यक्रमों की निगरानी व निर्देशन करना और नये स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण करना होगा। वृहत समस्याओं यथा बैंक सम्पर्कों, अन्तरासमूह ऋण-वितरण, उच्च स्तरीय संरचनाओं/संस्थाओं के साथ समझौतों हेतु और स्वयं सहायता समूहों के अधिकारों एवं लाभों आदि के लिये बेहतर मोल-भाव शक्ति प्राप्त करने हेतु इन के संघों के निर्माण की महती आवश्यकता है।

८- **क्षेत्र स्तरीय संघ की सदस्यताः** एक क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन वार्ड/स्लम या ऐसी ही किसी अन्य भौगोलिक इकाई को आच्छादित/कवर करने वाले १०-२० स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर किया जायेगा। इसमें प्रत्येक समूह के कम से कम २ नामांकित प्रतिनिधि अवश्यक शामिल होंगे। तथापि स्थानीय नगर निकाय ये निर्णय कर सकेंगे कि स्थानीय परिवेश के अनुसार एक संघ में कितने स्वयं सहायता समूह रखे जायें।

९- प्रत्येक क्षेत्र स्तरीय संघ को राज्य विधि के अनुरूप संस्था/संगठन के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इन क्षेत्र स्तरीय संघों हेतु आदर्श उपविधान **संलग्न २** में दिये गये हैं जो केवल प्रतीकात्मक हैं। क्षेत्र स्तरीय संघों को स्वयं के उपविधान बनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

१०- क्षेत्र स्तरीय संघों के उत्तरदायित्व/कर्तव्यः

- **१०.१** स्वयं सहायता समूहो के सदस्यों को बैंक सम्पर्क उपलब्ध कराना होगा यथा उनके खाते खुलवाने एंव उन्हें ऋण दिलवाने में मदद करना होगा
- **१०.२** स्वयं सहायता समूहो को ऋण प्रस्ताव तैयार करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
- **१०.३** नये स्वयं सहायता समूहो सहित सदस्य स्वयं सहायता समूहो को सुगम संचालन हेतु उनकी क्षमता का संवर्धन करना।
- **१०.४** सदस्य स्वयं सहायता समूहों को (एन.यू.एल.एम.) के लाभ उपलब्ध कराने हेतु साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं सामाजिक लाभों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना।
- **१०.५** नये स्वयं सहायता समूहो के गठन में सहयोग प्रदान करना और इसके तहत स्वयं सहायता समूहो का निरीक्षण एंव मूल्यांकित करना। कार्यात्मक एस.जी.एच. की प्रतीकात्मक सूची दी गई हैं।
- **१०.६** सदस्य एस.एच.जी.एस. द्वारा बैकों से ऋण प्राप्त करने मे आने वाली बाधाओं के संबंध में उठाये गये मुद्दों को हल करना।
- **१०.७** आवश्यक मुद्दों को नगर स्तरीय संघों के स्तर पर उठाना।
- **१०.८** स्थानीय नगर निकायों को स्वयं सहायता समूहो की कार्यात्मक रिपोर्ट/आख्या प्रदान करना।

११- क्षेत्र स्तरीय संघ मिलकर एक नगर स्तरीय संघ का गठन करेंगे। ये परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक शहर में एक नगर स्तरीय संघ अवश्य होगा। प्रत्येक नगर स्तरीय संघ को उपयुक्त राज्याविधि के अनुरूप पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। शहर के सभी क्षेत्र स्तरीय संघों को नगर स्तरीय संघ में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। बड़े शहरों में उनकी जनसंख्या और आकार के अनुरूप एक से अधिक नगर स्तरीय संघ हो सकेंगे। नगर स्तरीय संघ, क्षेत्र स्तरीय संघों, सदस्य स्वयं सहायता समूहों, नगर प्रशासन और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर शहरी गरीबों के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कार्य करेंगे।

१२- नगर स्तरीय संघ के कर्तव्य/दायित्वः

१२.१- शहरी गरीबों की विभिन्न आवश्यक्ताओं को विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत करना।

१२.२- स्थानीय नगर निकायों और राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा के आधार पर गरीबोन्नमुख महायोजना/वेन्डर/विक्रेता नियोजन आदि करना।

१२.३- सदस्य क्षेत्र स्तरीय संघों और स्वयं सहायता समूहों को बैकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद प्रदान करना।

१२.४- नये समूहों का निर्माण और उनका सहयोग

१२.५- सदस्य क्षेत्र स्तरीय संघों की आवश्यकतानुरूप विशिष्ट प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन की पहचान करना।

१२.६- विभिन्न सरकारी योजनाओं हेतु लाभार्थियों की पहचान के लिए संदर्भित स्थानीय नगर निकायों के साथ मिलकर कार्य करना।

१२.७- स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित या उनके उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना।

१३- स्वयं सहायता समूहों का गठनः संसाधन संगठनों की संबद्धता: एन.यू.एल.एम. के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई के अर्न्तगत विशेषज्ञों सहित सामुदायिक संगठनकर्ताओं की नियुक्ति की जायेगी। इस उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कार्य करने वाली आशाबहुओं/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं सहित अन्य समुदाय स्तरीय कर्मचारियों का उपयोग किया जा सकेगा।

१४- एन.यम.एल.एम.के तहत स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के निर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के वित्तीय समेकन को बढ़ावा देने हेतु राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा एक स्वचालित पंजीकृत एजेंसी/संस्था निर्मित की जायेगी अथवा सुस्थापित दीर्घकालिक स्वयं सहायता समूहों के संघों अथवा गैर सरकारी संगठनों को संसाधन संगठन से रूप में नियुक्ति किया जायेगा। ये संसाधन संगठन स्वयं सहायता समूहों के निर्माण व विकास को, बैंक सम्पर्कों तथा प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन को बढावा देंगे। क्षेत्रीय या नगर स्तर पर उनेक संघों को स्थानीय नगर निकायों तक पहुँच की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

१५- प्रत्येक स्वयं सहायता समूह, इसके निर्माण, सहायता, सभी सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक सम्पर्कों, संघों के गठन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अधिकतम १०,००० रूपये तक खर्च कर सकेगा। स्थानीय नगर निकाय संसाधन संगठनों की क्षमतानुसार उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण करेंगे। एक संसाधन संगठन न्यूनतम ५० स्वयं सहायता समूहों को आच्छादित/कवर करेगा। राज्य अथवा स्थानीय नगर निकायों से यह आशा कि गई है कि वे संसाधन संगठनों के साथ एक समझौते के तहत कार्य करेंगे और इन्हें आवर्ती कोष सहित समस्त भुगतान उपलब्यिों, यथा एस.एच.जी. निर्माण, सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक सम्पर्कों, क्षेत्र व नगर स्तरों पर संघों के गठन और एन.यू.एल.एम. के तहत उपलब्ध लाभों तक पहुंच आदि के आधार पर किये जायेंगे। संसाधन संगठन स्वयं सहायता समूहों को दो वर्षो तक पूर्ण सहायता उपलब्ध करायेंगे।

१६- संसाधन संगठन के निम्नलिखित कार्य होंगेः

१६.१- **बंधुत्व समूहों की पहचानः** संसाधन संगठन निष्ठापूर्ण और पारस्परिक सहयोग पूर्ण संबंधी की पहचान करेंगे और इन व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु प्रोत्साहित करेंगे। इन समूहों की सदस्यता प्राथमिकता के साथ सहभागी आधारित स्वचयनित होनी होगी।

१६.२- **क्षमता संवर्धनः** जैसे ही स्वयं सहायता समूहों का गठन हो जायेगा संसाधन संगठनों से ये अपेक्षा होगी कि वे स्वयं सहायता समूहों के समस्त सदस्यों (न कि केवल प्रमुखों/प्रतिनिधियों को) को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षित करेंगे-

(अ) स्वयं सहायता समूह की सामान्य परिचालनीय अवधारणा से जैसे कि सभाएं/मीटिंग कैसे की जायें और बचत के सामान्य नियम क्या हैं, ॠण वितरण कैसे किया जाये, ऋण अदायगी कैसे और क्यों होनी चाहिए, समूह के सदस्यों के उत्तरदायित्व क्या हैं आदि।

(ब) हिसाब किताब/बही खाता और लेखा-कार्य कैसे किया जाये कोष प्रबंधन कैसे हो, बैंक व ऋण सम्पक सूत्रों का निर्माण कैसे किया जाये।

(स) संप्रेषण, नीति-निर्णय, विवाद-निपटान, स्व-निरीक्षण आदि।

(द) एन.यू.एल.एम. के अर्न्तगत सरकारी लाभों तक पहुंच कैसे हो और अन्य सरकारी बचत योजनाओं का उपयोग कैसे किया जाये।

१६.३- **न्यूनतम १५ माह का निकट सहयोगः** एक बार समूहों के गठन हो जाने के बाद संसाधन संगठन उनकी सभाओं में नियमित रूप से शामिल होंगे। ये संसाधन संगठन अपने साथ इन सभाओं में बैंकरों, विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों और सुस्थापित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी लायेंगे ताकि नये समूहों का इनके साथ संवाद स्थापित हो सके। संसाधन संगठन सामुदायिक संगठनकर्ताओं को उनके द्वारा सहायतित स्वयं सहायता समूहों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु सहायता प्रदान करेंगे। स्वयं सहायता समूहों के गठन के एक माह के भीतर उस प्रत्येक समूह का बैंक खाता खुलवाने में मदद की जायेगी जिसका बैंक खाता न हो। संसाधन संगठन स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण दिलाने में मदद करने के साथ-साथ इन समूहों को अन्य माध्यमों से भी ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।

१६.४- **१५-२४ माह के मध्य सहायता की समाप्तिः** इस दौरान संसाधन संगठनों से ये उम्मीद की जायेगी की वे अपने सक्रिय सहयोग को उन स्वयं सहायता समूहों से वापस ले लें जिनका प्रदर्शन संतोषजनक हो। इस चरण में निगरानी का स्तर बढ़ा दिया जायेगा और २४ माह के अन्त में इन सहायतित स्यंव सहायता समूहों का विशिष्ट एवं गहन मूल्यांकन, सामुदायिक संगठनकर्ताओं के साथ मिलकर किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर हो चुके हैं या नहीं। संसाधन संगठन ये भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं सहायता समूहों का संघीकरण क्षेत्र स्तरीय संघो में हो जाये और ये समूह अपनी क्षमता संवर्धन हेतु क्षेत्र स्तरीय संघो तथा नगर स्तरीय संघो के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर कार्य करें।

१६.५- संसाधन संगठन एस.एच.जी. सदस्यों को, यूआइडी/आधार पंजीकरण, सामान्य बचत खाते खुलवाने तथा ऋण हेतु परामर्श प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।

एन.यू.एल.एम. के तहत संसाधन संगठनों की संबद्धता हेतु एक आदर्श कार्यतंत्र **संलग्नक-४** में प्रदर्शित किया गया है। ये मात्र प्रतीकात्मक और निर्देशन हेतु है। राज्य/स्थानीय निकाय इनमें स्थानीय परिस्थियों के अनुरूप संसोधन कर सकेंगे।

१७- संसाधन संगठनों का चयनः

१७.१- राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वचालित पंजीकृत एजेन्सियों या सुस्थापित दीर्घकालीक स्वयं सहायता समूहों के संघों,अथवा ऐसे गैर सरकारी संगठनों को संसाधन संगठनों के रूप में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जिन्हें वृहद स्तर पर सामुदाय चालित योजनाओं के प्रबंधन का अनुभव हो, और जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सामाजिक संगठन तथा संस्था निर्माण के क्रियान्वयन की सफल रणनीतियों के विकास में लगें हों।

१७.२- इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों को उनके संबंधित क्षेत्रीय ज्ञान एवं गरीब परिवारों के सामाजिक संगठन, प्रशिक्षण और क्षमता संबर्धन, आजीविका प्रोत्साहन और बैक सम्पर्कों हेतु पूर्व अनुभवों के आधार पर संसाधन संगठन के रूप में चुना जा सकेगा। किसी गैर सरकारी संगठन की क्षमता का मूल्यांकन करते समय उनके पंजीकरण की स्थिति, टर्न ओवर, अनुभव वर्षों की संख्या संगठन की अधिप्राप्तियों, वित्तीय प्रबंधन क्षमता तथा समर्पित, निष्ठावान विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं की संख्या आदि को महत्ता प्रदान की जायेगीं।

१७.३- राज्य शहरी आजीविका मिशन, समस्त एन.यू.एल.एम. शहरों में संसाधन संगठनों के पारदर्शी चयन हेतु उत्तरदायी होगें।

१७.५- संसाधन संगठन सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को एन.यू.एल.एम. के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु अपने कार्यदल में शामिल कर सकेंगे तथापि उप-अनुबंध अनुमेय नहीं होगा। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति एक सुस्थापित प्रौढ़ स्वयं सहायता समूह का सदस्य होगा जिसे स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, समूह प्रबंधन के आादर्शों, नियम-कायदों, समूह सभाओं की प्रक्रिया, लेखा-कर्म, कार्यक्रम-निश्चयन आदि का गूढ़ ज्ञान और अनुभव होगा। इनके पास गरीबों को प्रेरित करने की व अपने अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षण संचालित करने और स्वयं सहायता समूहों हेतु सर्वोत्तम कार्य प्रणाली बनाने की क्षमता तथा कौशल होता है। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति अन्य गरीब लोगों के लिए पथ प्रदर्शक और आदर्श के रूप में कार्य करेंगे।

१७.६- राज्य, एक खुली प्रतियोगी तथा कठोर मापदण्डों पर आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से संसाधन संगठनों की नियुक्ति करेंगे ताकि सेवाओं की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो।

सामुदायिक संरचनाओं का एस.जे.एस.आर.वाई.से एन.यू.एल.एम में संचरण :

१८- एस.जे.एस.आर.वाई. के शहरी सामुदायिक विकास तंत्र घटक के अर्न्तगत बंधुत्व समूहों, बंधुत्व समितियों, सामुदायिक विकास संसथाओं जैसी सामुदायिक संरचनाओं का गठन किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूहों/बचत एवं साख समूहों के अलग से गठन से स्वीकृति प्रदान की गई है। एस.जे.एस.आर.वाई. के अर्न्तगत गठित बचत एवं साख समूह अपनी गतिविधियां जारी रख सकेंगे। जबकि बन्धुत्व समूहों को स्वयं सहायता समूहों में परिवर्तित होकर बचत एवं साख संबंधी गतिविधियों को करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रकार बंधुत्व समितियां और सामुदायिक विकास संस्थायें भी धीरे-धीरे एन.यू. एल.एम. के तहत सामुदायिक संरचनाओं में परिवर्तित हो सकेंगी।

१९- राज्य/स्थीाीय नगर निकायों द्वारा संबद्ध आरओं संसाधन संगठन (स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना) के तहत गठित किये गये तंत्र/संरचना के साथ मिल कर कार्य करेगे। एनयूएलएम की त्रिस्रीय संरचना के समरूप किया जा रहा हैं। संसाधठ संगठनों/आरओएस के द्वारा (स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों/बचत साख संस्थाओं/बन्धुत्व समूहों वर्ग बैंक सम्पर्को तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेंगी।

घटक १.२- सार्वभौमिक वित्तीय समावेशनः

२०- ***'वित्तीय समावेशन का अभिप्राय वंचितों और निम्न आय वाले समूहों के विस्तृत वर्ग को वहनीय लागत पर बैकिंग सेवायें एवं ऋण उपलब्ध कराना है।'*** विभिन्न वित्तीय सेवाओं के अर्न्तगत, औपचारिक वित्तीय प्रणाली/तंत्र द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं जैसे कि बचत, ऋण, बीमा, संदाय/भुगतान, विप्रेषण सुविधाएं तथा वित्तीय परामर्शी सेवाएं आती हैं। एन.यू.एल.एम का उद्देश्य सामान्य बैकिंग सेवाओं से परे समस्त शहरी गरीब व्यक्तियों/परिवारों को आच्छादित करते हुए वित्तीय समावेशन के आदर्श को प्राप्त करना है। जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे-

वित्तीय साक्षरताः-

२१- वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को वित्तीय साक्षरता संबंधी किसी सुदृढ़ सहयोगी प्रणाली के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। समस्त लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन की परिधि में लाने के लिए आवश्यक है अतः राज्यों/स्थानीय नगर निकायों द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थियों एवं स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकतानुरूप वित्तीय साक्षरता हेतु सकारात्कम कदम उठाये जाने चाहिये-

२१.१- संसाधन संगठन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु वित्तीय साक्षरता संबंधी सत्र आयोजित करेंगे। इन सत्रों में लाभार्थियों को बचत, साख/ऋण, विप्रेषण, बीमा आदि सहित इनके उपयोग के तौर तरीकों तथा परिचालन से अवगत कराया जायेगा।

२१.२- बैंक वित्तीय संस्थाओं, बीमा-एजेन्सियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं/एजेन्सियों को नगर आजीविका केन्द्रों अथवा प्रचार कैंप आदि के माध्यम से, शहरी गरीबों के साथ संवाद स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा

२१.३- स्थानीय नगर निकायों, नगर आजीविका केन्द्रों तथा संसाधन संगठनों पर वित्तीय साक्षरता संबंधी सूचनाओं एवं आ.ई.सी. सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।

२१.४- भारतीय रिजर्व बैंक, सभी बैंको को वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोलने हेतु दिशानिर्देश जारी कर चुका है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर/परिपत्र संख्यां आरपीसीडी.एफएलसी संख्या १२४५२/१२.०१.०१८/२०११-१२ दिनांक ६जून २०१२ और आरपीसीडी/एफएलसी.संख्या ७६४१/१२.०१.०१८/२०१२-१३ दिनॉक ३१जनवरी २०१३ में नवीनतम दिशा निर्देश दिये गये हैं इसके अनुसार समस्त लीड बैंकों को, जिला लीड बैंक प्रबंधक के कार्यालय में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोलना अनिवार्य है। क्षेत्रीय आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त केन्द्रों को खोला जा सकेगा । स्थानीय नगर निकाय अपने क्षेत्राधिकार में वित्तीय साक्षरता सत्र एवं कैम्प आयोजित करने हेतु बैंको के वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

२१.५- स्थानीय नगर निकाय, सामुदायिक संगठनकर्ताओं तथा संसाधन संगठनों द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले वित्तीय साक्षरता सत्रों एवं कैंपों की लक्ष्य संख्या निर्धारित करेंगे।

बैंक खाता खोलनाः-

२२- एक बैंक खाते का होना अपने आप में पहचान, सामाजिक स्तर एवं सशक्तिकरण का परिचायक है और ये औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सभी बैंको को ये निर्देश जारी कर किये गये हैं कि प्रत्येग शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक खाता प्रति परिवार अवश्य खोला जाये। शहरी क्षेत्रो में जिला लीड बैंक प्रबंधक के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक वार्ड

हेतु एक विशेष बैंक का निर्धारण करेगा ताकि प्रति परिवार एक खाता खोलना सुनिश्चित हो सके। (पत्र संख्या ६/२३/२०१२ एफआई दिनांक २४ जुलाई २०१२) ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे जिससे कि समस्त संभावित लक्षित लाभार्थियों को कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध हो जाये ताकि इस घटक के अन्तर्गत सुविधायें प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता उन्हें प्राप्त हो सके। परिचालन संबंधी निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे-

२२.१- राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों के बैंक खाता खुलवाने सहित उनकी यूआईडी/आधार संख्या के साथ संलग्नता (जहां केवाईसी आवश्यक हो) हेतु प्रक्रिया पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं उनके संयोजक बैंकों के स्तर पर मतैक्य स्थापित करना है।

२२.२- राज्य शहरी आजीविका मिशन,संबधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति एंव उनके संयोजन बैंको के साथ समन्वय/सलाह मशविरे के बाद ये सुनिश्चित करेगा कि-

२२.२.१- एन.यू.एल.एम के लाभार्थियों के सामान्य बचत खाते खुलवाना,राज्य स्तरीय बैकिंग समिति की सभाओं/मीटिंग का एक प्रमुख एजेन्डा/मुद्दा अवश्य हो।

२२.२.२- बैंको की समस्त शाखाओं/विस्तार पटलों, नगर आजीविका केन्द्रों और स्थानीय नगर निकाय कार्यालयों पर परिचालनात्मक औपचारिकताओं यथा फार्म की उपलब्धता

२२.२.३- सामुदायिक संगठनकर्ताओं तथा संसाधन संगठनों के सहयोग से खाते खुलवाने हेतु स्थानीय नगर निकाय अपने क्षेत्राधिकारों के भीतर बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर कैंप आयोजित करेंगे।

२२.२.४- बैंकों को शहर की आवश्यकतानुसार व्यापार अभिकर्ताओं /व्यापार समन्वयक नियुक्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

२२.३- संभावित लाभार्थियों के खातों की संख्या के वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण राज्य आजीविका मिशन द्वारा संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से परामर्श के बाद किया जायेगा ताकि चरणबद्ध तरीके से एन.यू.एल.एम के समस्त संभावित लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सके।

वहन योग्य बीमा (स्वास्थ्य जीवन और पेंशन):-

२३- एन.यू.एल.एम के लाभार्थियों को सामाजिक बीमा/सुरक्षा की परिधि में लाने के लिए और विभिन्न जोखिमों/अनिश्चिताओं यथा मृत्यु, दुर्घटना, अपंगता, अस्पतालीय उपचार तथा सेवानिवृत्ति आादि से बचाने के लिए संबंधित राज्य शहरी आजीविका मिशन संभावित लाभार्थियों हेतु सूक्ष्म पेंशनों वाले अल्प लागती बीमा उत्पादों/सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चत करेंगे।

२३.१- राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस.यू.एल.एम) द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही वर्तमान/जारी बीमा योजनाओं, यथा स्वास्थ्य बीमा हेतु ***राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना*** (आरएसबीवाई) जीवन बीमा हेतु ***जनश्री बीमा योजना*** (जेबीवाई) कोई राज्य-विशेष बीमा योजना और लघु बीमा उत्पादों के तहत अधिकतम लाभार्थियों को आच्छादित किया जाये।

२३.२- प्रत्येक बीमा योजना का अभिनिर्धारण/निश्चियात्मक चयन एस.य.ूएल. एम द्वारा उसकी किस्त लागत तथा उत्पाद-लाभ के मूल्यांकन के बाद ही किया जायेगा।

२३.३- सामुदायिक संगठनकर्ताओं/संसाधन संगठनों/अन्य संस्थान स्यवं सहायता समूह सभाओं, कैम्पों आादि के माध्यम से चयनित योजनाओं के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करेंगे। इन सभाओं में वे प्रत्येक योजना की विशेषताओं, सुविधाओं, लाभों, और किश्त लागत के साथ-साथ दावा प्रक्रिया के बारे में सूचित करेंगे।जहाँ कहीं सम्भ्व हो वहाँ स्थानीय नगर निकाय ये सुनिश्चित करेंगे कि बीमा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर योजना का विस्तृत विवरण लाभार्थियों के साथ साझा किया जाये।

२३.४- स्थानीय नगर निकायों द्वारा बीमा प्रदाताओं के साथ परामर्श करके सुस्थापित/प्रौढ़ स्यवं सहायता समूहों को लघु बीमा एजेन्टों के रूप में नियुक्ति किये जाने की संभावनाओं की भी तालाश की जा सकती है।

२३.५- स्थानीय नगर निकाय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बीमा योजना किसी भी लाभार्थी पर थोपी न जाये, बल्कि उन्हें इसके लाभों को समझने हेतु प्रोत्साहित किया जाये ताकि ये स्वेच्छा से योजना का चयन कर सकें।

२३.६- सामुदायिक संगठनकर्ता/संसाधन संगठन बीमा योजनाओं हेतु इच्छित लोगों की सूची तैयार करेंगे और चरण बद्ध तरीके से इन्हें चयनित योजनाओं में पंजीकृत किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

२३.७- स्थानीय नगर निकाय एस.यू.एल.एम को विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत आच्छादित लाभार्थियों की वार्षिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करेंगे।

घटक १.३ः- स्वयं सहायता समूहों व उनके संघो को आवर्ती कोष सहायता

स्वयं सहायता समूहों को आवर्ती कोष सहायता-

२४- स्वयं सहायता समूहों की बचत एवं साख की आदत को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आवर्ती कोष उपलब्ध कराया जायेगा। आवर्ती कोष स्वयं सहायता समूहों की कोष प्रबंधन की सांस्थानिक क्षमता का भी निर्माण करेगा। आवर्ती कोष उनकी बचत द्वारा बनाये गये ***कार्पस*** के एक भाग का निर्माण करेगा। इस आवर्ती कोष का उपयोग आन्तरिक ऋण वितरण हेतु भी किया जा सकेगा और इस पर वही व्याज दर लागू होगी जो स्वयं सहायता समूहों अपनी बचतों से दिये गये ऋण पर वसूलते हैं।

२५- शहरी गरीबों वाले ऐसे स्वयं सहायता समूहों को १०,०००/ रूपये तक की एकल सहायता इस आवर्ती कोष के रूप में प्राप्त होगी जिन्होंने पहले ऐसे कोई सहायता न ली हो। छः माह से कार्यरत एवं न्यूनतम ७० प्रतिशत शहरी गरीबों की सदस्यता वाले स्वयं सहायता समूह एन.यू.एल.एम के तहत इस आवर्ती कोष सहायता के पात्र हो सकेंगे। *स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना* के तहत गठित किये गये वर्तमान स्वयं सहायता समूहों हेतु भी आवर्ती कोष सहायता उपलब्ध होगी यदि उन्हें पूर्व में कोई सहायता न मिली हो।

२६- स्वयं सहायता समूह आवर्ती कोष सहायता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में (जैसा कि संलग्न ५ में दिया गया है) संसाधन संगठनों के माध्यम से स्थानीय नगर निकायों को भेंजेगे। स्थानीय नगर निकाय, पात्र स्वयं सहायता समूहों को आवर्ती निधि जारी करने से पूर्व उनके आवेदन पत्रों सहित मांगे गये समस्त दस्तावेजों की जांच करेंगे जैसे कि गठन के पश्चात स्वयं सहायता समूह द्वारा की गयी सभाएं एवं उनके विवरण, समूह बचत हेतु सदस्यों द्वारा किया गया धन एकत्रण एवं बचत की नियमितता, एकत्रित धन एवं बचत अंश का उपयोग आदि। यदि आवश्यक हो तो स्थानीय नगर निकाय, आवर्ती निधि सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जमीनी स्तर पर वास्तविक जांच भी करवायेंगे। आवर्ती निधि का अन्तरण स्थानीय नगर निकायों द्वारा सीधे संबंधित स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में किया जायेगा।

२७- स्थानीय नगर निकायों द्वारा ये सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन प्राप्त होने के १५ दिनों के भीतर आवर्ती कोष निधि समय से स्वयं सहायता समूहो को जारी कर दी जाये। स्थानीय नगर निकायों द्वारा समय-समय पर आवर्ती निधि का उपयोग करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या से संदर्भित प्रगति रिपोर्ट राज्य शहरी आजीविका मिशन को भेजी जायेगी जो इसे आगे मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संघों की आवर्ती कोष सहायताः

२८- पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संघों हेतु ५०,०००/रु तक की एकल आवर्ती कोष सहायता उपलब्ध होगी। इस आवर्ती निधि का उपयोग क्षेत्र स्तरीय संघो द्वारा अपने कार्यकलापों की निरंतरता को बनाये रखने हेतु एवं क्षेत्र स्तरीय संघ के ***कार्पस*** के एक भाग का गठन करने हेतु किया जा सकेगा। क्षेत्र स्तरीय संघों द्वारा इस निधि का उपयोग सदस्य स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने में और उन्हें सुचना आादि से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा।

२९- पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय संघ संसाधन संगठनों के सहयोग से आवर्ती निधि सहयोग हेतु निर्धारित प्रारूप में (जैसा कि संलग्नक ६ में दिया गया है) आवेदन पत्र सम्बंधित स्थानीय नगर निकायों को भेजेंगे। स्थानीय नगर निकाय इन क्षेत्र स्तरीय संघों हेतु आवर्ती निधि सहयोग को स्वीकृत करने से पूर्व उनके आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की सामान्य तौर पर जांच करेंगे यथा पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज, वित्त प्रबंधन तथा धन स्रोत, सभाओं की संख्या और आवर्तिता, कार्यलय पदाधिकारी एवं उनके दायित्व, स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन या स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित कोई अन्य मानक। यदि आवश्यक हो तो स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जमीनी स्तर पर गहन जांच करायी जायेगी। आवर्ती निधि का अंतरण स्थानीय नगर निकायों द्वारा सीधे पात्र क्षेत्र स्तरीय संघों के बैंक खातों में किया जायेगा। ।

३०- स्थानीय नगर निकायों द्वारा समय-समय पर आवर्ती निधि का उपयोग करने वाली क्षेत्र स्तरीय संघों की संख्या से संदर्भित प्रगति आख्या शहरी आजीविका मिशन की भेजी जायेगी जो इसे आगे मंत्रालय को भेजेंगे।

घटक १.४- नगर आजीविका केन्द्र

नगर आजीविका केन्द्रों की अवधारणा-

३१- अनौपचारिक क्षेत्र शहरों में पारम्परिक रूप से मध्यम तथा उच्च आय वर्ग वाले समूहों को विभिन्न प्रकार की सेवायें यथा सुरक्षा, बढ़ई-कार्य, बागवानी, निर्माण-कार्य, प्लम्बिंग, विद्युतीय-कार्य, स्वास्थ्य-लाभ सहायता, गृह अनुरक्षण कार्य आदि, उपलब्ध कराते रहे हैं। तथापि शहरों में ये सेवायें अभी भी व्यवस्थित एवं विश्वसनीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

३२- शहरी गरीब, जिन विपणनीय वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादिन करते हैं कई बार उनके लिये कोई बाजार ढूंढने में भी वे समर्थ नहीं होते। शहरी गरीबों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराने जाने वाले विभिन्न अवसरों तथा लाभों के प्रति यथा कौशल प्रशिक्षण अवसरों, बैंक ऋण तथा सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित कार्यक्रमों के प्रति अनभिज्ञता पाई जाती है। अतः शहरी गरीबों को इन उपलब्ध अवसरों तक पहुँचाने के लिए सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक लघु उद्योग की स्थापना हेतु ऋण के लिए उनके पास परियोजना प्लान, बैंक हेतु आवश्यक दस्तावेज आदि होने चाहिए। उन्हें पंजीकरण, लेखा तथा विधिक सहायता जैसी सेवाओं तक पहॅच के लिए भी सहायता की आवश्यकता होती है।

३३- शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य शहर स्तर पर इस विभेद का निराकरण करना तथा एक ऐसा मंच तैयार करना हैं जहॉ-

३३.१- शहरी गरीब अपने उत्पादों एवं सेवाओं को संभावित खरीदारों हेतु व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकें अर्थात नगर आजीविका केन्द्र शहरी गरीबों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु मांग तथा आपूर्ति के मध्य सेतु का कार्य करेंगे।

३३.२- शहरी गरीब आसानी से उन आवश्यक सूचनाओं तथा व्यापार संवर्धन सेवाओं तक पहुंच सकेंगे जो उन्हें अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाती हैं।

नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना-

३४- नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकायों की होगी। स्थानीय नगर निकाय, इन नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु आवश्यक स्थान उपलब्ध करायेंगे। ये आवश्यक है कि नगर आजीविका केन्द्र ऐसे

केन्द्रीय एवं सुगम स्थल पर स्थापित किये जायें जहॉ से शहरी गरीबों को इनके उपयोग में आसानी हो। यदि स्थानीय नगर निकायों के पास ऐसे स्थल न हों तो वे नगर आजीविका केन्द्रों स्थापना हेतु ऐसे स्थलों को क्रय/किराये पर ले सकेंगे। यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय नगर निकाय इन आजीविका केन्द्रों की संचालन व्यवस्था, सामुदायिक संगठनों (उदाहरण के लिए नगर स्तरीय संघ) या किसी अन्य संगठन/एजेंसी को आऊटसोर्स भी कर सकेंगे।

३५– नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जा सकेगीः–

३५.१– १–३ लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर में एक नगर आजीविका केन्द्र, जिला मुख्यालय वाले शहरों की स्थिति में एक लाख से कम आबादी के बावजूद भी एक नगर आजीविका केन्द्र की स्थापना की जा सकेगी।

३५.२– ३–५ लाख तक की आबादी वाले प्रत्येक शहर में दो नगर आजीविका केन्द्र।

३५.३– ५–१० लाख तक की आबादी वाले प्रत्येक शहर में तीन नगर आजीविका केन्द्र।

३५.४– १० लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अधिकतम आाठ नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना की जा सकेगी।

स्थानीय नगर निकायों द्वारा नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रक्रियाः

३६– नगर आजीविका केन्द्रों हेतु प्रस्ताव की तैयारी (कार्य योजना सहित)– नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव स्थानीय नगर निकायों द्वारा तैयार किये जायेंगे जिन्हें स्वीकृति के लिए राज्य नगरीय आजीविका मिशन में जमा किया जायेगा। एस.यू.एल. एम को भेजे गये प्रस्तावों के साथ स्थानीय नगर निकायों को भवन परिसर के स्वामित्व/किरायदारी से सम्बंधित प्रमाणपत्र लगाना होगा। प्रस्ताव में आजीविका केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची और व्यवसाय प्रारूप भी अवश्य होना चाहिए। प्रस्ताव में ***संलग्नक ७*** के अनुरूप विस्तृत विवरण होने चाहिए।

३७– एस.यू.एल.एम द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन– राज्य शहरी आजीविका मिशन, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के बाद तद्नुसार उनका अनुमोदन या अस्वीकरण करेंगे।

३८- प्रचार एवं जागरूकता अभियान- एक बार अनुमोदन आदेश प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय नगर निकायों द्वारा नगर आजीविका केन्द्र के परिचालन क्षेत्र में शहरी गरीबों के साथ-साथ अन्य शहरी निवासियों हेतु जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे। प्रचार अभियान के लिए पैम्पलेट/स्थानीय टी.वी/रेडियो, समाचार पत्र विज्ञापनों घोषणाओं, पोस्टरों बैनरों, वॉल राईटिंग आदि का उपयोग जनता में उनकी व्याप्ति के क्रम में किया जायेगा।

३९- नगर आजीविका केन्द्रों में कुर्सी-मेज, कम्पयूटर, फोन, आलमारियॉं आदि वस्तुएं रखनी आवश्यक होंगी। प्रस्तावित नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु दो कमरों एवं एक प्रसाधन कक्ष सहित १००० वर्ग फुट का स्थान आपेक्षित है।

४०- आवश्यक कर्मचारीगण- प्रारम्भिक तौर पर नगर आजीविका केन्द्रों की चलाने हेतु १-२ लोगों की जरूरत होगी। यदि संचालन की जिम्मेदारी किसी संस्था को दी जायेगी तो ये संस्थाएं आवश्यकतानुरूप स्वंय कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगें।

४१- नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु धन आवंटन- प्रत्येक आजीविका केन्द्र हेतु १० लाख रुपये तक की एकल सहायता प्रदान की जायेगी। ये राशि ३ किस्तों में जारी की जायेगी। राशि जारी करने के निम्नलिखित मानक होंगे-

४१.१- प्रथम किस्त का निर्गमः- प्रस्ताव के अनुमोदन एवं स्वीकृति आदेश भेजे जाने के एक सप्ताह के भीतर एस.यू.एल.एम द्वारा स्थानीय नगर निकायों को प्रथम किस्त के रूप में ३० प्रतिशत राशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

४१.२- द्वितीय किस्त का निर्गमः- जैसे ही नगर आजीविका केन्द्र कार्य योजना के अनुरूप आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेंगे द्वितीय किस्त की ४० प्रतिशत राशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

४१.३- तृतीय किस्त का निर्गमः- नगर आजीविका केन्द्र के चालू होते ही और कार्य योजनानुरूप सेवाओं का संचालन होने लगेगा बकाया ३० प्रतिशत राशि तृतीय किस्त के रूप में अवमुक्त कर दी जायेगी।

४२- नगर आजीविका केन्द्र के कोष के उपयोग हेतु प्रतिबंधित गतिविधियांः- नगर आजीविका केन्द्रों हेतु अवमुक्त केन्द्रीय धन का उपयोग किसी प्रकार की भौतिक संरचना के निर्माण या नवीकरण हेतु नहीं किया जा सकेगा।

नगर आजीविका केन्द्रों की सेवाएंः-

४२.१- शहरी गरीबों को एन.यू.एल.एम तथा अन्य योजनाओं के तहत बैंक खाते खुलवाने, प्रशिक्षण/रोजगार अवसरों संबंधी सूचना एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही समाजिक कल्याणकारी योजनाओं यूआईडी/आधार कार्ड हेतु पंजीकरण आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

४२.२- नगर आजीविका केन्द्रों में पंजीकृत सदस्यों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन हेतु नगर आजीविका केन्द्रों द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। नगर आजीविका केन्द्रों द्वारा शहरी गरीब उत्पाद एवं सेवा प्रदाताओं से पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा और प्रतिवर्ष नवीकरण शुल्क लेकर पंजीकरण का नवीकरण किया जायेगा। पंजीकरण तथा नवीकरण शुल्क का निर्धारण स्थानीय नगर निकायों द्वारा अपने क्षेत्रों के शहरी गरीबों से परामर्श के बाद किया जायेगा।

४२.३- **शुल्क आधारित सेवाएं**- नगर आजीविका केन्द्र शुल्क आधारित कुछ सेवाएं भी प्रदान करेंगे। जिन्हें शहरी गरीब नाममात्र के शुल्क पर प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी समस्त सेवाओं के शुल्क का निर्धारण स्थानीय नगर निकाय अपने क्षेत्र के गरीबों से परामर्श के पश्चात करेंगे। शुल्क आधारित सेवाओं की सूची मय राशि नगर आजीविका केन्द्रों पर प्रदर्शित की जायेगी। ऐसी सेवाओं की एक प्रतीकात्मक सूची नीचे दी जा रही है-

४२.३.१- **बाजार मांग तथा बाजार रणनीति संबन्धित जारकारी**- ऐसे शहरी गरीबों को, जो सूक्ष्म व्यापार से जुडें हैं उन्हें बाजार आवश्यकताओं, उत्पादित वस्तुओं की मांग, मूल्यों, संभावित विक्रय क्षेत्र आदि से संबन्धित बेहतर समझ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सकती है।

४२.३.२- **विक्रय/प्रचार केन्द्र**- शहरी गरीबों द्वारा बनाये गये उत्पादों हेतु नगर आजीविका केन्द्र प्रचार/विक्रय स्थल उपलब्ध करा सकते हैं।

४२.३.३– **लघु उद्योगों हेतु पंजीकरण, लाइसेंस, लेखा तथा विधिक सेवाएं**– लघु उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु आजीविका केन्द्रों द्वारा इन लघु उद्यमों को पंजीकरण में, आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में, लेखा तथा अन्य विधिक सेवाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सकती है।

४२.३.४– **नियोजन सेवाएं**– नगर आजीविका केन्द्र अपने क्षेत्र के उद्योगों एवं उनके संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित कर शहरी गरीबों को उनकी कौशल क्षमता के अनुरूप रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं।

४३– अन्य सेवाएं–

४३.१– **नागरिक सेवाओं हेतु बोली/ठेका**–नगर आजीविका केन्द्र, वार्षिक अनुरक्षण ठेके, नगर निकाय ठेके, आवासीय संघ सेवाएं यथा प्लम्बरिंग–कार्य, बढ़ई–कार्य, विद्युत बिल प्रेषण, सम्पत्ति बिल प्रेषण आदि से संबन्धित कार्यों को सीधे कार्य–आदेश द्वारा या बोली लगाकर प्राप्त कर सकते हैं और इन सेवाओं की पूर्ति पंजीकृत शहरी गरीब सेवा प्रदाताओं के माध्यम से करा सकते हैं। यहाँ से ध्यान रखना होगा कि नगर आजीविका केन्द्र केवल उन्हीं कार्यों को लें जो शहरी गरीबों से संबन्धित हों ताकि व्यवसायिक हित, शहरी गरीबों के हितों को पृष्ठिभूमि में न ढकेल दें।

४३.२– नगर आजीविका केन्द्र, उद्योगों/कम्पनियों, उद्योग संघों आदि से उनकी आवश्यकतानुसार शहरी गरीबों को नियोजित करने हेतु नियोजन शुल्क वसूल सकते हैं। उदाहरण के लिए नगर आजीविका केन्द्र द्वारा, मॉल या खुदरा केन्द्रों में सामान्य घरेलू कामगारों या कम्पनियों में डाटा इन्ट्री आपरेटरों आदि के नियोजन हेतु समझौता।

४३.३– **प्रशिक्षण स्थल**– यदि नगर आजीविका केन्द्रों के पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तो वे इसे प्रशिक्षण स्थल के तौर पर भी दे सकते हैं।

४३.४– **शिशु सदन सेवा**– यदि सदस्य कामकाजी माताओं को शिशु सदन सेवा की आवश्यकता हो तो नगर आजीविका केन्द्र, शिशु सदन की स्थापना की संभाव्यता तलाश सकेंगे।

४३.५- नगर आजीविका केन्द्र अपने क्षेत्र के नागरिकों हेतु आधार कार्ड के लिए यूआईडी के साथ गठबंधन की संभावना की तलाश कर सकते हैं।

४३.६- विभिन्न सरकारी विभागों, बैंको, बीमा एजेन्सियों तथा अन्य संगठनों को शहरी गरीबों के साथ संवाद स्थापित करने में मदद प्रदान करेंगे।

४४- उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। स्थानीय नगर निकाय नगर आजीविका केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं (शुल्क देय अथवा निःशुल्क) का निर्धारण स्वयं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप उचित परामर्श के बाद करेंगे।

नगर आजीविका केन्द्रों का प्रबंधन और कार्यान्वयन-

४५- नगर आजीविका केन्द्रों को कार्यान्वित समझा जायेगा जब वे सेवाएं उपलब्ध कराने लगेंगे। नगर आजीविका केन्द्र अपनी व्यावसायिक योजना का विकास कर सकेंगे और बाजार की आवश्यकतानुरूप सेवाओं की पहचान तथा उनके शुल्क का निर्धारण कर सकेंगे।

४६- नगर आजीविका केन्द्रों के दैनिक संचालन के प्रबंधन हेतु केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी।

४७- प्राप्त ठेका कार्यों की पूर्ति हेतु नगर आजीविका केन्द्र काम का बँटवारा सदस्यों के बीच करेंगे और उन्हें प्रवर्तित मानक दरों पर भुगतान करेंगे। व्यक्तिनिष्ठ सेवाओं (उदा. प्लम्बर,इलेक्ट्रीशियन,बढ़ई आदि) की पूर्ति सदस्यों द्वारा किये जाने की स्थिति में इनका लिखित रिकार्ड रखा जायेगा और माह के अन्त में उनका पूर्ण हिसाब किया जायेगा।

४८- प्रत्येक नगर आजीविका केन्द्र का एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा जिसका संचालन संयुक्त हस्ताक्षरित रूप में होगा। (जिसमें एक स्थानीय नगर निकाय/संगठन/संस्था का प्रतिनिधि और दूसरा सी.एल.सी का प्रबंधक होगा) लेखा संबंधी समस्त दस्तावेजों जैसे कि सदस्यता विवरण, अंशपूजी, व्यावसायिक लेन-देन आदि का अनुरक्षण व्यवस्थित रूप में नगर आजीविका केन्द्र स्तर पर किया जाना चाहिये।

४६- नगर आजीविका केन्द्रों का पुनरीक्षण- नगर आजीविका केन्द्रों के प्रदर्शन का पुनरीक्षण स्थानीय नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।

५०- नगर आजीविका केन्द्रों का पंजीकरण- नगर आजीविका केन्द्रों का पंजीकरण प्रवर्त समुचित राज्य विधि के तहत कराया जायेगा। नगर मिशन प्रबंधन इकाई अथवा कोई संगठन/एजेंसी (यदि सौंपा जाये तो) नगर स्तर पर नगर आजीविका केन्द्रों के पंजीकरण का उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकेंगे।

५१- नगर आजीविका केन्द्रों द्वारा गठबंधन तथा सम्पर्क- ये उम्मीद की जा रही है कि नगर आजीविका केन्द्र विभिन्न सरकारी विभागों के साथ गठबंधन करके उनके द्वारा आपेक्षित सेवाओं की पूर्ति/ संचालन कार्य, अपने सदस्यों के लिए प्राप्त करेंगे जैसे कि सम्पत्ति कर का एकत्रण, ऋण, बिजली बिल का विवरण ,जन्म प्रमाण पत्र आदि।

घटक १.५- सामुदायिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संघो का प्रशिक्षणः-

५२- समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण तथा अन्य क्षमता संवर्धन निवेश प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य उन्हें आपेक्षित कौशल समर्थ बनाना है ताकि वे अपनी सामुदायिक संस्थाओं को संभाल सकें।

५३- सामुदायिक संरचनाओं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघों आदि, के निरंतर क्षमता संवर्धन हेतु एक ऐसी बहु विकल्पीय रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिसमें आदर्श संस्थानों का प्रदर्शन-भ्रमण(एक्सपोजर विजिट) और मुख्य समुदाय संसाधन व्यक्तियों का विकास शामिल हो जिनका उपयोग समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जा सके।

५४- समुदाय के सदस्यों के न्युनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संघों का प्रबंधन, बैंक सम्पर्कों, लेखा-कर्म, सूक्ष्म नियोजन आदि का प्रशिक्षण अवश्य शामिल होने चाहिए।

५५- समुदाय संसाधन व्यक्तियों, पेशेवरों, नागरिक सामाजिक संगठनों, कार्यक्षेत्र की विशेषज्ञता एवं अनुभव युक्त संसाधन एजेंसियों (उदा.बैंक-लिंकेज,लेखा-जोखा, सूक्ष्म नियोजन,सूक्ष्म निवेश प्रक्रिया सदस्यों की भूमिका तथा कर्तव्यों आदि से संबंधित) के समूह को चिन्हित कर सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता हेतु सम्बद्ध किया जाना चाहिये।

५६- क्षेत्र स्तरीय संघों तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु औसतन प्रति प्रशिक्षु ७५०० रुपये तक उपयोग किये जा सकेंगे।

निगरानी एवं मूल्यांकन-

५७- राज्य मिशन प्रबंधन इकाई राज्य स्तर पर और नगरीय मिशन प्रबंधन इकाई स्थानीय नगर निकाय स्तर पर इस घटक की गतिविधियों/लक्ष्यों की प्रगति की गहन

निगरानी करेंगे और इनकी आख्या एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व निभायेंगे। राज्य शहरी आजीविका मिशन तथा स्थानीय नगर निकाय/कार्यकारी एजेंसियाँ मिशन निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्दिष्ट प्रारूप में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे,जिसमे मासिक एवं त्रैमासिक समाप्ति पर सकल उपलब्धियों का स्पष्ट वर्णन होगा और ये बताना होगा कि क्रियान्वयन की प्रमुख समस्यायें क्या हैं।

५८- एन.यू.एल.एम. के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की निगरानी हेतु एक दक्ष सूचना एवं तकनीकी दल सहित *राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रबंधन सूचना प्रणाली* **(NULM MIS)** विकसित की जायेगी। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को अपनी प्रगति रिपोर्ट/आख्या ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी और वे इसका उपयोग जमीनी प्रगति की निगरानी के लिये भी कर सकेंगे। एन.यू.एल.एम. के तहत सूचनाओं के तीव्र प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता हेतु SM&ID के अन्तर्गत मुख्य प्रगति रिपोर्ट को यथासमय जन-पटल(पब्लिक-डोमेन) पर उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक १ :- आदर्श स्वयं सहायता समूह हेतु नियम और कानून

१. समूह का नाम................होगा और आगे इसे यहाँ 'स्वयं सहायता समूह' के रूप में सम्बोधित किया गया है।

२. स्वयं सहायता समूह का नाम ....शहर में स्थिति है तथा इस समूह का पता निम्नलिखित हैः

....

....

पिन कोड.........................

३. उद्देश्य :- स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य हैः

अ. सदस्यों के मध्य नियमित बचत को बढ़ावा देना

ब. समूह के सदस्यों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना

स. एक ऐसे समूह का गठन करना जोकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उठाने योग्य हो और ऐसी माँगों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो।

४- सदस्यता :-

अ- व्यक्ति जिसकी आयु के समय १८ वर्ष पूर्ण चुकी हो।

ब- व्यक्ति जो अपनी बचत राशि को समूह के साथ जोडने हेतु इच्छुक हों।

स- व्यक्ति जो समूह से ऋण लेने में इच्छुक हों।

द- व्यक्ति जो कि स्लम/क्षेत्र का नाम के वर्ष......... का निवासी हो।

य- या परिवार के ऐसे सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गरीब अथवा बीपीएल के रूप में चिन्हित किया गया हो।

र- प्रति परिवार एक से ज्यादा व्यक्ति समूह के सदस्य नहीं होंगे।

ल- सदस्यों के कुल संख्या किसी भी समय न तो २० से ज्यादा होगी न ही १० से कम।

५– बचतः–

अ. प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह रु.................(अंकों तथा शब्दों में) की बचत करेगा और सभी सदस्य प्रतिमाह की दिनांक.......... को अपनी बचत समूह के कोषाध्यक्ष के पास जमा करेंगे।

ब. स्वयं सहायता समूह समय–समय पर बचत राशि का निर्धारण करेंगे। इस राशि में किसी भी परिवर्तन का उल्लेख कारण सहित स्वयं सहायता समूह की सभाओं के दस्तावेजों में किया जायेगा।

स. यदि कोई सदस्य निश्चित तिथि पर अपनी बचत राशि जमा नहीं करेगा तो उस पर रुपये..............प्रतिमाह/सप्ताह/दिन के हिसाब से अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

६– समूह प्रबंधः–

अ. एक प्रबंधन समिति होगी जो स्वयं सहायता समूह के दैनिक कार्यों तथा रणनीतिक प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगी।

ब. प्रबंधन समिति में समूह के सदस्यों द्वारा समूह से ही चुने हुए तीन कार्यालय पदाधिकारी होगें – अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष, जिनका कार्यकाल १ वर्ष का होगा।

स. ये कार्यालय पदाधिकारी लगातार दो वर्षों से ज्यादा पद पर नहीं रह सकेंगे।

द. यदि समूह द्वारा किसी परिवार के एक से ज्यादा व्यक्तियों को समूह के सदस्य के रूप में चुना जाता है तो ऐसे किसी भी परिवार के दो सदस्य एक ही समय पर स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी पद हेतु चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

य. **अध्यक्ष के दायित्व :–**

- स्वयं सहायता समूह की नियमित सभाओं तथा किसी भी प्रकार की अन्य सभाओं की अध्यक्षता करना।
- स्वयं सहायता समूह की विभिन्न सभाओं में लिए गये निर्णयों एवं प्रस्तावों को हस्ताक्षरित कर (या अँगूठे के निशान द्वारा) अनुमोदित करना।
- किसी विशेष सभा का आह्वान या स्थगन।

- यदि आवश्यक हो तो अन्य कार्यालय पदाधिकारियों एवं सदस्यों के सहयोग से किसी समस्या का समाधान करना।
- समूह के अन्दरूनी व बाहरी सम्बन्धों को बनाये रखना, विशेष रूप से बैंको तथा स्थानीय नगर निकायों के साथ ताकि समूह के सदस्यों हेतु ऋण की सुनिश्चिता बनी रहे और साथ ही साथ उन्हें एन.यू.एल.एम के विभिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त हो सकें।
- स्वयं सहायता समूह की प्रगति रिपोर्ट/आख्या नियमित तौर पर स्थानीय नगर निकायों को मॉगे गये अन्य विवरणों के साथ देते रहना।

र. सचिव के कर्तव्यः-

- अध्यक्ष की पूर्वानुमति से सभाओं का आह्वान करना तथा प्रत्येक सभा का एजेंडा तैयार करना।
- सभी नियमित एंव विशेष सभाओं की कार्यवाही के अभिलेख तैयार करना और उन्हें अगली सभा में उन्हें पढ़ना।
- प्रत्येक सभा के प्रस्तावों का लिखित विवरण तैयार करना और उसी सभा में उन्हें पढ़कर सुनाना।
- सचिव द्वारा सदस्यता-रजिस्टर, उपस्थिति-रजिस्टर तथा गतिविधियों एवं प्रस्ताव रजिस्टर की देखभाल की जायेगी।
- यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो समस्त सभाओं का संचालन एवं अध्यक्षता करेगा।
- स्वयं सहायता समूह के लेखा-बहियों की नियमित जांच करेगा तथा प्रत्येक सभा में सदस्यों को इससे अवगत करायेगा।
- समूह के आन्तरिक एवं वाह्य संबंधों को बनाये रखेगा विशेषकर बैंकों तथा स्थानीय नगर निकायों से ताकि समूह एवं उसके सदस्यों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और साथ-साथ उन्हें एन.यू.एल.एम के तहत प्राप्त होने वाले लाभ सुलभ हो सकें।
- स्वयं सहायता समूह की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से स्थीनय नगर निकायों को उनके द्वारा मॉगे गये अन्य विवरणों सहित प्रस्तुत करना।

ल. कोषाध्यक्ष के उत्तरदायित्वः-

- समूह से सम्बधित समस्त आवश्यक एव वित्तीय दस्तावेजों की सुाक्षित रखना।
- स्वयं सहायता समूह के समस्त लेखा-बाहियों की देखरेख यथा सदस्यों का बचत एवं ऋण रजिस्टर, पास-बुक, समूह की बैंक पास-बुक तथा ऋण विवरण, नगद लेनदेन आदि।
- सभाओं में एकत्रित समस्त नगद धनराशि को दो दिनों के भीतर बैंक में जमा कराना।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुमोदित ऋण को सदस्यों में बांटना, बचतों, अदायगियों, ब्याज दण्ड-शुल्क आदि को प्राप्त करना/वसूलना।
- समूह की समस्त वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

७- सभाएंः-

अ. समूह प्रत्येक माह........... (संख्या) सभाएं करेगा। सभाएं प्रत्येक माह की .... तिथियों को आयोजित होंगी।

ब. किसी आवश्यक और वित्तीय मामले हेतु समूह अल्प-कालिक सूचना पर विशेष सभा का आयोजन कर सकेंगे।

स. सभा के निर्णयों की वैद्यता हेतु सभा में ८० प्रतिशत सदस्यों सहित कम से कम दो कार्यालय पदाधिकारी अवश्य उपस्थिति होने चाहिए। जहां निर्णय समूह कोष के रु .... (अंको एंव शब्दों में) से अधिक राशि के संबंध में हो या नियम और कानून में परिवर्तन से सम्बंधित हो वहॉ समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

द. स्वयं सहायता समूह की सामान्य सभा प्रतिवर्ष .... माह में दिनांक ....को आयोजित की जायेगी। इस सभा में पिछले साल की गतिविधयों तथा वित्तीय प्रगति का पुनरावलोकन किया जायेगा और अगले साल के क्रियाकलापों की योजना तैयार की जायेगी। (समूह इस सभा का उपयोग प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के नियमित चुनाव हेतु भी कर सकते हैं।)

य. विशेष सभाओं हेतु अथवा नियमित सभाओं के संचालन में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में सचिव द्वारा समूह के सदस्यों को ऐसी किसी भी सभा के पूर्व ....दिन की नोटिस देनी होगी।

र. यदि कोई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के .....(संख्या) सभाओं में लगातार अनुपस्थिति रहता है तो वह रु......../ सभा(अंको एवं शब्दों में) के दण्ड/शास्ति का भागी होगा।

८- **समूह के दस्तावेजों/रिकार्ड का अनुरक्षणः-**

अ. प्रत्येक सदस्य को एक बचत एवं ऋण पास बुक दी जायेगी जिसमें हर एक सदस्य के बचत एवं ऋण सम्बंधी विवरण नियमित रूप से अद्यतन किये जायेंगे। विवरणों को भरे जाने का दायित्व कोषाध्यक्ष पर होगा।

ब. सदस्यता, उपस्थिति और क्रियाकलापों तथा प्रस्ताव रजिस्टर सचिव द्वारा रखे जायेंगे ताकि वो सदस्यता पंजीकरण कर सके और समस्त सभाओं की कार्यवाहियों, उपस्थिति एवं प्रस्तावों के अभिलेख तैयार कर सके।

द. समूह स्तर पर बचत एवं ऋण रजिस्टर कोषाध्यक्ष के पास रखे जायेंगे ताकि बचत एवं ऋण सम्बन्धी समस्त व्यैक्तिक रिकार्ड रखे जा सकें।

य. कैशबुक तथा बैंक-ऋण रजिस्टर की देखरेख कोषाध्यक्ष द्वारा की जायेगी जो समस्त आय-व्यय के साथ साथ बैंक ऋण की प्राप्तियों एवं अदायगियों को अद्यतन करेगा।

र. समूह की बैंक पासबुक की देख-रेख कोषाध्यक्ष द्वारा की जायेगी और प्रत्येक जमा एवं निकासी को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहेगा।

ल. समूह के समस्त दस्तावेज सभी सदस्यों के अवलोकन हेतु सभाओं के दौरान उपलब्ध रहेंगे, अन्य समयों में प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों को समुचित सूचना देकर इनका अवलोकन किया जा सकेगा। स्वयं सहायता समूह किसी गैर सदस्य व्यक्ति को लेखा-कर्म हेतु एक निर्धारित सांकेतिक भुगतान पर सकेंगे। तथापि सदस्यों द्वारा ऐसी सेवाएं अपने समूह को स्वैच्छिक रूप से प्रदान की जा सकती हैं।

९. **समूह कोष का प्रबंधन :-**

अ. प्रत्येक सदस्य हेतु ऋण सीमा का निर्धारण स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जायेगा। ये राशि रु.............(शब्दों व अंकों में) से ज्यादा नहीं होगी।

ब. ब्याज दर रु ....(शब्दों व अंकों में) प्रतिमाह प्रति १०० (सौ रूपये मात्र) की होगी।

स. ऋण अदायगी प्रक्रिया का निर्धारण समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मिलकर किया जायेगा।

द. ऋण स्वीकृति के पश्चात, ऋण/लोन विवरण सर्वसहमत ऋण अदायगी सारणी का विवरण आवेदक की बचत एवं ऋण पासबुक और समूह के बचत एवं ऋण रजिस्टर में अवश्य लिखी जायेगी। इसके पश्चात अदायगी संबन्धित समस्त विवरण भी(और व्यतिक्रम यदि कोई है,तो) आवेदक की बचत एवं ऋण पासबुक में तथा समूह के बचत एवं ऋण रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे।

य. ऋण तभी प्रदान किया जायेगा जबकि :

- सदस्य ने पूर्व ऋण का ब्याज सहित भुगतान कर दिया हो।
- सदस्य ने नियमित रूप से कम से कम तीन माह तक अपनी बचत को समूह के पास जमा किया हो।

र. बचत एवं ऋण के ब्याज से तथा दण्ड-शुल्क से प्राप्त समस्त आय स्वयं सहायता समूह के कोष में जोड़ी जायेगी।

१०. समूह के बैंक खातों का प्रबंधनः-

अ. समूह का बैंक खाता निकटतम शाखा में खोला जायेगा। कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव (कोई भी दो) मिलकर खाते का संचालन करेंगे। समस्त निकासियों को स्वयं सहायता समूह के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित/समर्थित होना होगा।

११. सदस्यता का प्रत्याहारः- सदस्यों को विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये तय करना चाहिए कि यदि कोई सदस्य समूह छोड़ना चाहता है तो धन वापसी की प्रक्रिया व शर्तें क्या हों? इसका समूह के उपविधान में अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए।

१२. सदस्यता हेतु अयोग्यताः- स्वयं सहायता समूह द्वारा कोई भी सदस्य निम्नलिखित आधारों पर अयोग्य घोषित किया जायेगा-

अ. समूह की नियमित सभाओं में..........से ज्यादा बार अनुपस्थिति/असक्रियता।

ब. ....(संख्या) माह से ज्यादा नियमित बचत जमा न करना।

स. समूह से प्राप्त ऋण का नियमित भुगतान न करना ।

द. समूह के नियमों का पालन न करना।

१३- **नियम और कानून में परिवर्तनः-** समूह के नियमों अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन, इस उद्देश्य से बुलाई गई सामान्य सभा में उपस्थिति समस्त सदस्यों की अनुमति से किया जायेगा।

१४- **समूह का विघटनः-** समूह के विधटन के पूर्व समूह के समस्त सदस्य मिलकर, समूह-कोष के सदस्यों के मध्य वितरण, अदायगियों आदि के सम्बंध में विचार विमर्श कर संबंधित औपचारिकताओं एवं शर्तो को तय करेंगे। तत्पश्चात समूह के विघटन एवं कोष के पुनर्वितरण से संबंधित समस्त प्रतिबंधो/शर्तों को समूह के उपविधान में उल्लिखित किया जाना चाहिए । सदस्यों के बहुमत से समूह का विघटन किया जा सकेगा।

संलग्नक २ः- क्षेत्र स्तरीय संघो हेतु आदर्श उपविधान

१. संघ का नाम ....होगा और यहॉं इसके आगे इसे संघ उल्लिखित किया गया है।

२. संघ का नाम वार्ड का नाम वार्ड के स्वयं सहायता समूहों को सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा और इस संघ का पता निम्नलिखित होगा-
....
....पिनकोड.................

३. उद्देश्यः- संघ के उद्देश्य होगें-

अ. सदस्य स्वंय सहायता समूहों के मध्य नियमित परस्पर अन्त क्रिया एवं सम्बन्ध हेतु मंच उपलब्ध कराना और जहां कहीं भी आवश्यक हो तो नये एससचजीएस के गठन में मदद करना।

ब. ऐसी क्रियाकापों को प्रारम्भ करना जिनसे सदस्य स्वयं सहायता समूह सुदृढ़ हों किन्तु जिन्हें वे स्वयं न कर सकते हों जैसे कि सदस्य स्वंय सहायता समूहों को बैंक सम्पर्क उपलब्ध कराना, सदस्य स्वंय सहायता समूहों के ऋण प्रस्तावों के निर्माण में पूर्ण सहयोग करना।

स. सदस्य स्वंय सहायता समूहों को एन.यू.एल.एम सहित भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराना और ऐसी संस्थाओं के साथ लिंकेज स्थापित करना जो कि उनके कल्याण हेतु प्रासंगिक हों यथा बीमा सुविधा।

द. एन.यू.एल.एम के तहत कौशल प्रशिक्षण एवं लघु उद्यम स्थापना हेतु सहायता और सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध सामाजिक सहयोग के लाभों तक सदस्य स्वंय सहायता समूहों की पहॅच बनाने हेतु उपयोगी सूचनाओं के प्रसारण अंग के रूप में कार्य करना।

य. नये सदस्य स्वंय सहायता समूहों की सुदृढ़ता एवं क्षमता संवर्धन तथा वर्तमान सदस्य स्वंय सहायता समूहों के कार्यकलापों की नियमित निगरानी और क्षमता सुदृढ़ता ताकि क्रियाकलापों को सफलता पूर्वक जारी रखा जा सके।

र. नगर स्तरीय संघ में संघ एवं उसके सदस्य स्वंय सहायता समूहों का सफल प्रतिनिधित्व करना।

ल. सदस्यों के नेतृत्व कौशल का निर्माण एवं विकास ताकि वे सदस्य स्वंय सहायता समूहों एवं उनके संघों का प्रबंधन कर सकें।

४. सदस्यता–

अ. उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र के स्वंय सहायता समूह सदस्य हो सकेंगे जोकि
१. पिछले छः माह से अस्तित्व में हों।
२. नियमित रूप से सभाएं एंव बचत कर रहे हों (८० प्रतिशत से कम सदस्य न हो)
३. नियमित रूप से किसी भी दिये गये ऋण की अदायगी कर रहे हों (६० प्रतिशत से कम की अदायगी न हो)
४. निर्धारित प्रवेश शुल्क और निश्चित वार्षिक अभिदान शुल्क (सब्सक्रिप्सन फीस) दे चुका हो।

ब. प्रत्येक स्वयं सहायता समूह एक वर्ष के लिए अपने सदस्यों में से दो लोगों को संघ की कार्यकारिणी समिति में समूह के प्रतिनिधित्व हेतु नामांकित करेंगे। इन सदस्यों में से एक स्वंय सहायता समूह का कार्यालय पदाधिकारी होना चाहिए और दूसरा स्वयं सहायता समूह का सामान्य सदस्य अथवा कार्यालय पदाधिकारी हो सकता है।

५. अंशदान–

अ. प्रवेश के समय प्रत्येक स्वंय सहायता समूह रुपये.......(अंको एवं शब्दों में) प्रवेश शुल्क के रूप में अदा करेगा।

ब. प्रत्येक सदस्य स्वयं सहायता समूह रुपये..........(अंकों एवं शब्दों में) वार्षिक अभिदान शुल्क (सब्सक्रिप्सन फीस) अदा करेगा।

स. यदि कोई सदस्य स्वयं सहायता समूह निर्धारित तिथि तक वार्षिक अभिदान शुल्क जमा नहीं करेगा तो उसे रुपये...... (शब्दों एवं अंको में) माह/सप्ताह/दिन का अर्थदण्ड देना होगा।

६. समूह प्रबंधन–

अ. सामान्य सभा प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के दो प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी।

ब. सामान्य सभा से पांच सदस्यों का चयन प्रबंधन समिति के लिए किया जायेगा जो कि संघ की कार्यपद्धति एवं दैनिक कार्यों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगी।

स. प्रबंधन समिति पांच सदस्यीय होगी जिसमें अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष, स्वैच्छिक आजीविका, सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय समावेशन कार्यकर्ता कार्यालयी पदाधिकारी होंगे। इन्हें क्षेत्र स्तरीय संघ के सभी सदस्यों द्वारा संघ के सदस्यों में से ही एक वर्ष के लिए चुना जायेगा।

द. ये पदाधिकारी केवल दो कार्यकालों तक ही लगातार पद पर रह सकेंगे।

य. ये सभी पदाधिकारी भिन्न भिन्न स्वयं सहायता समूहों से चुने जायेंगे।

र. **अध्यक्ष के कर्तव्य-**

- संघ की नियमित सभाओं तथा किसी भी प्रकार की अन्य सभाओं की अध्यक्षता करना।
- संघ की विभिन्न सभाओं में लिए गये निर्णयों एवं प्रस्तावों को हस्ताक्षरित कर (या अँगूठे के निसान द्वारा) अनुमोदित करना।
- किसी विशेष सभा का आह्वान या स्थगन।
- यदि आवश्यक हो तो अन्य कार्यालय पदाधिकारियों एवं सदस्यों के सहयोग से किसी समस्या का समाधान करना।
- संघ के अन्दरूनी व बाहरी सम्बन्धों को बनाये रखना, विशेष रूप से बैंको तथा स्थानीय नगर निकायों के साथ ताकि संघ के सदस्यों हेतु ऋण की सुनिश्चिता बनी रहे और साथ ही साथ उन्हें एन.यू.एल.एम के विभिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त हो सकें।
- संघ की प्रगति रिपोर्ट/आख्या नियमित तौर पर स्थानीय नगर निकायों को मॉगे गये अन्य विवरणों के साथ देते रहना।

ल. **सचिव के कर्तव्य**-

- अध्यक्ष की पूर्वानुमति से सभाओं का आह्वान करना तथा प्रत्येक सभा का एजेंडा तैयार करना।
- सभी नियमित एंव विशेष सभाओं की कार्यवाही के अभिलेख तैयार करना और उन्हें अगली सभा में उन्हें पढ़ना।
- प्रत्येक सभा के प्रस्तावों का लिखित विवरण तैयार करना और उसी सभा में उन्हें पढ़कर सुनाना।
- सचिव द्वारा सदस्यता-रजिस्टर, उपस्थिति-रजिस्टर तथा गतिविधियों एवं प्रस्ताव रजिस्टर की देखभाल की जायेगी।

- यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो समस्त सभाओं का संचालन एवं अध्यक्षता करेगा।
- संघ के लेखा-बहियों की नियमित जांच करेगा तथा प्रत्येक सभा में सदस्यों को इससे अवगत करायेगा।
- संघ के आन्तरिक एवं वाह्य संबंधों को बनाये रखेगा विशेषकर बैंकों तथा स्थानीय नगर निकायों से ताकि संघ एवं उसके सदस्यों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और साथ-साथ उन्हें एन.यू.एल.एम के तहत प्राप्त होने वाले लाभ सुलभ हो सकें।
- संघ की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से स्थीनय नगर निकायों को उनके द्वारा मॉगे गये अन्य विवरणों सहित प्रस्तुत करना।

व. कोषाध्यक्ष के कर्तव्य-

- संघ से सम्बन्धित समस्त आवश्यक एवं वित्तीय दस्तावेजों को सुाक्षित रखना।
- संघ के समस्त लेखा-बाहियों की देखरेख यथा सदस्यों का बचत एवं ऋण रजिस्टर, पास-बुक, संघ की बैंक पास-बुक तथा ऋण विवरण, नगद लेनदेन आदि।
- सभाओं में एकत्रित समस्त नगद धनराशि को दो दिनों के भीतर बैंक में जमा कराना।
- संघ द्वारा अनुमोदित ऋण को सदस्यों में बांटना, बचतों, अदायगियों, ब्याज दण्ड-शुल्क आदि को प्राप्त करना/वसूलना।
- संघ की समस्त वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- संघ की समस्त लेखों की देखरेख करना यथा कैश-बुक, ऋण-बही, आयगी तथा देनगी की रसीदें आदि।

ह. स्वैच्छिक आजीविका कार्याकर्ता के कर्तव्य-

- रोजगार क्षेत्रों की पहचान करना जिससे स्वंय सहायता समूह के सदस्यों की आय बढ़ सके।
- शहरी गरीब आजीविका मिशन के तहत नये उद्यमों की स्थापना में सहयोग हेतु सदस्यों को ऋण एवं सलाहकारी सेवाओं के माध्यम उपलब्ध कराना।

- शहरी गरीब आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण के अवसरों हेतु सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराना।

स. स्वैच्छिक सामाजिक कार्याकर्ता–

- सदस्य स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी जरूरतों का मूल्यांकन करना।
- वार्ड के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना ताकि शहर में उपलब्ध लाभों/सुविधाओं से सदस्य स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जा सके।
- शहर की समस्त योजनाओं की एक ऐसी अद्यतन सूची तैयार करना जिसके लाभ/सुविधाएं सदस्य स्वंय सहायता समूह उठा सकें और इस जानकारी का प्रसार क्षेत्र स्तरीय संघो के माध्यम से करना।

श. स्वैच्छिक वित्तीय समावेशन कार्यकर्ता के दायित्व–

- ये सुनिश्चित करना कि सदस्य स्वयं सहायता समूह बैंक से सम्बद्ध हो गये हैं।
- ये सुनिश्चित करना कि सदस्य स्वयं सहायता समूह बीमे और धन विप्रेषण हेतु वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध हो गये हैं।
- ये सुनिश्चित करना कि सदस्य स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पास सामान्य बचत खाता उपलब्ध हो गया हो।
- ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक सदस्य स्वयं सहायता समूह वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

७. सभाएं–

अ. संघ प्रत्येक माह........... (संख्या) सभाएं करेगा। सभाएं प्रत्येक माह की तिथियों..................को आयोजित होंगी।

ब. किसी आवश्यक और वित्तीय मामले हेतु संघ अल्प कालिक सूचना पर विशेष सभा का आयोजन कर सकेंगे।

स. सभा के निर्णयों की वैद्यता हेतु सभा में ८० प्रतिशत सदस्यों सहित कम से कम दो कार्यालय पदाधिकारी अवश्य उपस्थिति होने चाहिए। जहां निर्णय संघ कोष के रु .... (अंको एंव शब्दों में) से अधिक राशि के संबंध में हो या नियम और कानून में परिवर्तन से सम्बंधित हो वहॉं समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

स. संघ की सामान्य सभा प्रतिवर्ष .... माह में दिनांक ....को आयोजित की जायेगी। इस सभा में पिछले साल की गतिविधयों तथा वित्तीय प्रगति का पुनरावलोकन किया जायेगा और अगले साल के क्रियाकलापों की योजना तैयार की जायेगी। (संघ इस सभा का उपयोग प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के नियमित चुनाव हेतु भी कर सकते हैं।)

द. विशेष सभाओं हेतु अथवा नियमित सभाओं के संचालन में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में सचिव द्वारा संघ के सदस्यों को ऐसी किसी भी सभा के पूर्व ....दिन की नोटिस देनी होगी।

य. यदि कोई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के .....(संख्या) सभाओं में लगातार अनुपस्थिति रहता है तो वह रु......../ सभा(अंको एवं शब्दों में) के दण्ड/शास्ति का भागी होगा।

८. समूह के दस्ताबेजों का अनुरक्षण-

अ. सदस्यता, उपस्थिति और क्रियाकलापों तथा प्रस्ताव रजिस्टर सचिव द्वारा रखे जायेंगे ताकि वो सदस्यता पंजीकरण कर सके और समस्त सभाओं की कार्यवाहियों, उपस्थिति एवं प्रस्तावों के अभिलेख तैयार कर सके।

ब. कैशबुक तथा बैंक-ऋण रजिस्टर की देखरेख कोषाध्यक्ष द्वारा की जायेगी जो समस्त आय-व्यय के साथ साथ बैंक ऋण की प्राप्तियों एवं अदायगियों को अद्यतन करेगा।

स. संघ की बैंक पासबुक की देख-रेख कोषाध्यक्ष द्वारा की जायेगी और प्रत्येक जमा एवं निकासी को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहेगा।

द. संघ के समस्त दस्तावेज सभी सदस्यों के अवलोकन हेतु सभाओं के दौरान उपलब्ध रहेंगे, अन्य समयों में प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों को समुचित सूचना देकर इनका अवलोकन किया जा सकेगा।

९. समूह के कोष का प्रबंधन-

अ. ऋण के सम्बंध में संघ की नियत कालीक सभाओं में विचार किया जायेगा कि जिसके लिए सदस्य स्वंय सहायता समूह संध की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की लिखित आवेदन पत्र देना होगा। जब तक सदस्य स्वंय सहायता समूह केप्रतिनिधि ऋण हेतु आवेदन दिया जायेगा तो इसके प्रतिनिधि सदस्य इस संबंध में होने वाले विचार विमर्श में तो भाग ले सकेंगे। किन्तु ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान मत नहीं दे सकेंगे।

ब. प्रत्येक सदस्य स्वंय सहायता समूह की ऋण सीमा का निर्धारण उसके संघ की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एंव उसके सदस्य स्वंय सहायता समूहों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारी दायित्व को ध्यान में रखतें हुए पूर्ण कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा।

स. ऋण अदायगी प्रक्रिया का निर्धारण समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मिलकर किया जायेगा।

द. ऋण स्वीकृति के पश्चात, ऋण/लोन विवरण सर्वसहमत ऋण अदायगी सारणी का विवरण आवेदक की बचत एवं ऋण पासबुक और समूह के बचत एवं ऋण रजिस्टर में अवश्य लिखी जायेगी। इसके पश्चात अदायगी संबन्धित समस्त विवरण भी(और व्यतिक्रम यदि कोई है,तो) आवेदक की बचत एवं ऋण पासबुक में तथा समूह के बचत एवं ऋण रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे।

य. ऋण तभी प्रदान किया जायेंगा जब किः

१. सदस्य स्वंय सहायता समूह में संघ की सभी बकाया फीसों/शुल्क चुका लिया हो और पूर्व ऋण की पूर्व भुगतान मय ब्याज दिया हो।

२. प्रस्तावित ऋण का उदद्श्य व्यवहार्य/अर्थक्षम हो।

३. सदस्य स्वंय सहायता समूह नियमित रूप से सभाएं एंव बचत कर रहा हों। उवविधान का पालन कर रहा हो और संघ की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रहा हों।

र. संघ की बचत एवं ऋण के ब्याज से प्राप्त धन और अर्थदण्ड/शास्ति तथा फीस/शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त आय पुनः संघ के कोष में निवेशित की जायेगी।

१०. समूह के बैंक खातों का प्रवंधन- संघ का बैंक खाता निकटतम शाखा में खोला जायेगा। कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव (कोई भी दो) मिलकर खाते का संचालन करेंगे। समस्त निकासियों को संघ के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित/समर्थित होना होगा।

११. **सदस्यता का प्रत्याहार–** कार्यकारिणी समिति विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये तय करना चाहिए कि यदि कोई सदस्य स्वयं सहायता समूह संघ छोड़ना चाहता है तो धन वापसी की प्रक्रिया व शर्तें क्या हों? इसका संघ के उपविधान में अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए।

१२. **सदस्यता हेतु अयोग्यता–**

अ. संघ की नियमित सभाओं में..........से ज्यादा बार अनुपस्थिति/असक्रियता।

ब. अभिदान शुल्क (सब्सक्रिप्सन फीस) जमा न करना।

स. संघ से प्राप्त ऋण का नियमित भुगतान न करना।

द. संघ के नियमों का पालन न करना।

१३. **उपविधान में परिवर्तन–** संघ के नियमों अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन, इस उद्‌देश्य से बुलाई गई सामान्य सभा में उपस्थिति समस्त सदस्यों की अनुमति से किया जायेगा।

१४. **संघ का विघटन–** समूह के विधटन के पूर्व समूह के समस्त सदस्य मिलकर, समूह–कोष के सदस्यों के मध्य वितरण, अदायगियों आदि के सम्बंध में विचार विमर्श कर संबंधित औपचारिकताओं एवं शर्तो को तय करेंगे। तत्पश्चात समूह के विघटन एवं कोष के पुनर्वितरण से संबंधित समस्त प्रतिबंधो/शर्तों को समूह के उपविधान में उल्लिखित किया जाना चाहिए । सदस्यों के बहुमत से समूह का विघटन किया जा सकेगा।

संलग्नक ३:- एक क्रियाशील स्वयं सहायता समूह हेतु परीक्षण सूची

इसे मासिक आधार पर प्रयुक्त किया जायेगा।

क्र सं	जार्च जाने वाले तत्व/घटक	परीक्षण सूची
१	समूह का आकार (सदस्यों की संख्या)	न्यूनतम आकार : ०५ सदस्य अधिकतम आकार : २० सदस्य
२	सदस्यों के प्रकार	आवर्ती कोष की सुनिश्चितता हेतु ७० प्रतिशत शहरी गरीब
३	सभाओं की संख्या	कम से कम सप्ताह में एक बार
४	स्वयं सहायता समूहों के नियम	स्वयं सहायता समूह के नियम बनाये जाने चाहिये और प्रत्येक सभा में उनका पालन किया जाना चाहिये।
५	प्रति सभा सदस्यों की उपस्थिति	प्रति सभा न्यूनतम ६० प्रतिशत
६	बचतों का समूह में एकत्रण	सभी सदस्य निश्चित समय पर प्रत्येक सभा में अपनी बचतों को जमा करेंगे।
७	सदस्यों द्वारा आन्तरिक ऋण की अदायगी	समूह के सदस्यों द्वारा समस्त आन्तरिक ऋणों की अदायगी नियमित रूप से निश्चित समय पर की जायेगी।
८	दस्तावेजों का अनुरक्षण	• विवरण पुस्तिका में सभी सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित प्रत्येक सभा का रिकार्ड रखा जायेगा • प्रत्येक सभा का एक उपस्थिति रजिस्टर होना चाहिये • बचत तथा आंतिाक ऋण के रजिस्टर को प्रत्येक सभा में अद्यतन किया जाना चाहिये • बैंक पासबुक महीने में एक बार अद्यतन की जानी चाहिये
९	प्रबंधन समिति	• सभी तीनों कार्यालय पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या उनके समकक्ष चुनें जायेंगे • चुनाव वर्ष में एक बार कराया जायेगा • सभी तीनों कार्यालय पदाधिकारियों को कम से कम ६० प्रतिशत सभाओं में उपस्थित रहना होगा • किसी एक ही परिवार के दो सदस्य SHG के पदाधिकारी नहीं होंगे

१०	बैंक लिंकेज	• SHG का एक बैंक खाता होना चाहिये • SHG को ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा ग्रेडिंग में सफल होना चाहिये
११	क्षमता संवर्धन	• प्रत्येक SHG सदस्य को कम से कम एक बार सामान्य SHG प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिये • प्रत्येक SHG सदस्य को कम से कम एक बार सामान्य वित्तीय प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिये • SHG पदाधिकारियों को नेतृत्व एवं SHG प्रबंधन प्रशिक्षण लेना चाहिये

संलग्नक ४ :- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वंय सहायता समूहों के गठन हेतु संसाधन सगठनों को सम्बद्ध करने की आदर्श रूप रेखा

'ये मात्र एक संकेत हैं कि किस प्रकार राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा सामुदायिक संगठनों की नियुक्ति की जा सकती है। प्रत्येक राज्य शहरी आजीविका मिशन अपनी आवश्यकतानुसार इन्हें अपनाने अथवा इनमें परिवर्तन करने हेतु स्वतंत्र है।'

वर्ग अः पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रमुख लक्ष्य गरीबों की सुदृढ़ आधार भूत संस्थाओं/ढांचों के गठन द्वारा शहरी गरीब परिवारों की पहुंच को लाभप्रद स्वरोजगारों एवं पारिश्रमिक रोजगारों तक सुलभ बनाकर स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में पर्याप्त सुधार करते हुए उनकी गरीबी एवं विषमताओं को दूर करना है।

सामाजिक संगठन के निष्पादन की सुनिश्चितता लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन संसाधन संगठनों के साथ गठजोड़ करेगा ताकि नगरीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जा सके। संसाधन संगठन स्वयं सहायता समूहों के गठन में उनके विकास एंव बैंक सम्पर्क सूत्रों के लिए, क्षेत्रीय एवं नगरीय स्तर पर उनके संघों के निर्माण हेतु, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन के लिए तथा स्थानीय नगर निकायों से सम्पर्क स्थापित करने एवं सामाजिक, व्यावसायिक और आवासीय विषमताओं को कम करने हेतु सहायता उपलब्ध करायेंगे।

वर्ग बः संसाधन संगठनों को सम्बद्ध किये जाने के आशयित परिणाम

१- चिन्हित किये गये प्रत्येक गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः महिला स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो सकेगा।

१.१ स्वयं सहायता समूहों के कम से कम ७० प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब होने चाहिए।

१.२ संसाधन संगठन विभिन्न मामलों हेतु स्वंय सहायता समूहों को उनकी क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण देंगे जैसे किः

(अ) स्वयं सहायता समूह की अवधारणा (बचत सहित), सभाएं कैसे आयोजित की जायें, समूह के सदस्यों के कर्तव्य आदि।

(ब) हिसाब किताब एवं लेखा-कार्य, कोष-प्रबंधन, बैंक एवं ऋण सम्पर्क सूत्रों की स्थापना आदि।

(स) सम्प्रेषण, नीति-निर्णयन, विवाद-निपटान एवं मूल्यांकन आदि।

(द) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उपलब्ध सरकारी लाभों तक पहुँच और अन्य सरकारी केन्द्रीय राज्य एवं स्थानीय कल्याणकारी योजनाओं तक अभिगम्यता।

१.३ समस्त स्वयं सहायता समूहों के लिए उनकी बचतों को जमा करने हेतु बचत खाते की उपलब्धता।

१.४ समस्त स्वयं सहायता समूहों की ऋण हेतु बैंक से सम्बद्धता।

१.५ समस्त नये गठित स्वयं सहायता समूहों की, एन.यू.एल.एम के तहत उपलब्ध आवर्ती निधि सहायता तक अभिगम्यता।

२- स्वयं सहायता समूहों को क्षेत्रीय स्तर पर संघबद्ध किया जायेगा और प्रत्येक शहर में कम से कम एक **नगर स्तरीय संघ** अवश्य गठित किया जायेगा।

२.१ संसाधन संगठन ये सुनिश्चित करेंगे कि ALFs/CLFs के सभी सदस्य विभिन्न मामलों हेतु अपनी क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करें यथाः

(अ) संघ की अवधारणा (बचत सहित), कैसे सभाएं की जायें, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और संघ के कर्तव्य आदि।

(ब) हिसाब किताब तथा लेखा-कार्य, कोष-प्रबंधन बैंक एवं ऋण सम्पर्क सूत्रों का निर्माण

(स) एन.यू.एल.एम के तहत सरकारी लाभों तक पहुंच और केन्द्रीय राज्य एवं स्थानीय सरकारी सामाजिक योजनाओं तक अभिग्यता।

२.२ समस्त क्षेत्र स्तरीय संघों/नगर स्तरीय संघों को पंजीकृत होना होगा।

२.३ समस्त नये गठित क्षेत्र स्तरीय संघ एन.यू.एल.एम के तहत उपलब्ध आवर्ती निधि सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

वर्ग स :– संसाधन सगठनों के साथ भागीदारी के सिद्धान्त

१– नगर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रारम्भ उन वर्तमान स्वयं सहायता समूहों एवं सामाजिक संगठनों के चिह्नीकरण से होगा जो कि पहले से ही शहरी क्षेत्रों में एन.यू.एल.एम और पहले की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं अन्य स्थानीय योजनाओं के तहत अस्तित्व में होंगी। इस प्रक्रिया के तहत उन शहरी स्थानों को भी चिह्निनित किया जायेगा जहां शहरी गरीब नगरीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित नहीं हो सकें हैं। इस पूरी प्रक्रिया में का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (जहॉ लागू हो संघ) की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, मौजूदा स्वयं सहायता समूहों/संघों को सुदृढ़ता प्रदान करना और उनके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से एन.यू.एल.एम में अवस्थांतर हेतु हस्तक्षेप की अवश्यकता की पहचान करना और ये जानना है कि आगे नये सामुदायिक संगठनों की आवश्यकता है कि नहीं।

२– संसाधन संगठनों का चयन कठोर मानकों पर किया जायेगा। जिसके अर्न्तगत संगठन के पंजीकरण की हैसियत, टर्नओवर, अनुभव वर्षों की संख्या, अधिप्राप्तियों की स्थिति और वित्तीय प्रबंधन की क्षमता, समर्पित विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं की संख्या, संबंधित क्षेत्र के ज्ञान और गरीब परिवारों के संगठन, प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन, आजीविका प्रोत्साहन, सामुदायिक संगठनों हेतु बैंक सम्पर्कों का पूर्व अनुभव सम्मिलित होगा।

३– मानचित्रिकरण प्रक्रिया के आधार पर प्रत्येक राज्य में एन.यू.एल.एम के तहत राज्य शहरी आजीविका मिशन सामुदायिक संगठन और संस्था विकास हेतु संसाधन संगठनों की नियुक्ति के लिए योजना तैयार करेंगे। संसाधन संगठनों का चयन पूर्णतः पारदर्शी तरीके से किया जायेगा।

४– प्रत्येक शहर में संसाधन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा मूर्त/ठोस लक्ष्यों के विकास की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकायों पर होगी।

५– स्थानीय नगर निकाय संसाधन संगठनों हेतु शहर के सीमान्तर्गत ही एक संक्षिप्त भौगोलिक क्षेत्र निर्दिष्ट करेंगे। जिसमें संसाधन संगठन कार्य करेंगे। ये निर्दिष्ट कार्य सम्बंधित संसाधन संगठनाों की क्षमता के आधार पर नियत किये जायेंगे। प्रत्येक संसाधन संगठन न्यूनतम ५० स्वयं सहायता समूहों को आच्छादित/कवर करेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप एक संसाधन संगठन एक से ज्यादा शहरों को कवर कर सकेंगे ताकि अधिकतम परिमाण और गुणवत्तापरक प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

वर्ग द :– संसाधन संगठनों के चयन के मानदण्ड–

१– सरकारी संस्थाओं जैसे कि केरल का राज्य मिशन **(कुदुमश्री)** और आन्ध्र प्रदेश का **(मेप्मा)** तथा अन्य सादृश्य मिशनों को संसाधन संगठनो के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।

२– केवल उन्हीं गैर सरकारी सगठनों को नियुक्ति किया जाना चाहिए जिन्हें जमीनी कार्य का सुदृढ़ एवं पर्याप्त अनुभव हो।

३– विधिक अहूर्यतानुसार संभावित संसाधन संगठन को एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए।

४– सभी संभावित संसाधन संगठनों को अपनी लेखा–बाहियों का अनुरक्षण करना होगा और वार्षिक आय–व्यय का उचित रूप से सम्परीक्षित व्यौरा रखना होगा।

५– संभावित संसाधन संगठनों की अनुकूलता एवं दर्शन को एन.यू.एल.एम के अर्न्तगत आने वाले सामुदायिक संगठनों और संस्था निर्माण के प्रमुख रूपों को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए जैसे कि भागीदारी प्रक्रिया के प्रति झुकाव, शहरी गरीबों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य में विश्वास, समरूप समूह के गठन में अनुभव, अधिमानतः ऐसे समूह जो ऋण प्रबंधन और आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में संलग्न हों तथा गरीबों की आधारभूत संथाओं की क्षमता संवर्धन का अनुभव रखते हों।

६– संभावित संसाधन संगठन के पास उस शहर में अपना आधार हो चाहिए जहॉं उसका काम करना प्रस्तावित है। उसके पास प्रस्तावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं सहित कार्य करने का भौतिक अनुभव हो और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्थिति की स्पष्ट समझ हो। संभावित संसाधन संगठन के प्रस्तावित कार्य क्षेत्र के सामुदाय के बीच उनकी ख्याति उनकी अतिरिक्त योग्यता होगी।

७– संसाधन संगठन एन.यू.एल.एम के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु सामुदाय संसाधन व्यक्तियों को अपनी टीम के साथ सम्बद्ध कर सकेंगे तथापि उपसंविदा किसी रूप में मान्य नही होगी।

८– प्रत्येक संसाधन संगठन को कम से कम १०० स्वयं सहायता समूहों और बैंक लिंकेजों का सफलतापूर्वक निर्माण करना होगा।

९– संभावित संसाधन संगठन को पूर्णतः धर्म निरपेक्ष होना चाहिए और उसे किसी राजनैतिक संगठन से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए।

१०- संभावित संसाधन संगठन को इस प्रतिबद्धता के साथ राज्य शहरी आजीविका मिशन या स्थानीय नगर निकायों के साथ एक एम.ओ.यू हस्ताक्षरित करने हेतु तैयार रहना चाहिए कि वह -

१०.१- एन.यू.एल.एम के उद्देश्यों और घटकों की पूर्ति करेंगे।

१०.२- परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं हेतु अपनी रणनीति और व्यवस्ता में परिवर्तन करेंगे।

१०.३- एन.यू.एल.एम के दिशा निर्देशों एवं दर्शनानुसार गठित स्वयं सहायता समूहों का पोषण व सहयोग करेंगे।

१०.४- नियमित आख्या प्रस्तुत करने के साथ -साथ सभाओं में उपस्थिति रहेंगे और एन.यू.एल.एम द्वारा आपेक्षित व्यवस्था एवं प्रक्रिया संबंधी प्रतिपुष्टि/फीड बैक में योगदान करेंगे।

वर्ग य :- संसाधन संगठनों के कार्य हेतु गुंजाइश/अवसर

नगरीय परिधि के तहत सौंपे गये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में संसाधन संगठनों के कार्यो में निम्नलिखित शामिल होंगेः

१- एन.यू.एल.एम के तहत निर्धारित रूप से रेखा एवं समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप संस्था निर्माण के मॉडल/प्रतिरूप का क्रियान्वयन करना।

२- समरूप समूहों के आधार पर गरीबों को संगठित करना और गुणवत्तापरक स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संघो का निर्माण करना। सदस्यों का चुनाव तथा स्वयं सहायता समूहों का गठन सहभागी प्रकृति का होना चाहिए।

३- संसाधन संगठनों को सुनिश्चित करना होगा कि स्वयं सहायता समूह के कम से कम ७० प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब हों।

४- प्रशिक्षण एवं ज्ञान-भ्रमण के आयोजन द्वारा इन संस्थाओं की क्षमता का संवर्धन करना ताकि ये अपने सदस्यों की आजीविका वर्धन में मदद कर सकें और सामाजिक क्रियाशीलता उत्पन्न कर सकें।

५- जैसे ही स्वयं सहायता समूह का गठन हो जायेगा संसाधन संगठनों से ये अपेक्षा होगी कि वे स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को न कि केवल इनके प्रमुख/प्रतिनिधियों को मूलभूत विषयों में प्रशिक्षण देंगे जैसे कि :-

(अ) स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सहित बचतों, सभा आयोजित किये जाने की प्रक्रिया, समूह के सदस्यों के उत्तरदयित्व, संघ आदि से संबंधित।

(ब) हिसाब किताब तथा लेख-कर्म, कोष-प्रबंधन, बैंक व ऋण सम्पर्क-सूत्रों का निर्माण आदि कैसे किया जाये।

(स) सम्प्रेषण, नीति-निर्णयन, विवाद-निपटान, स्व-मूल्यांकन आदि कैसे किया जाना चाहिए।

(द) और एन.यू.एल.एम के तहत सरकारी सुविधाओं मुख्यतः सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन, कौशल प्रशिक्षण और लघु उद्यम तक पहुँच कैसे हो तथा अन्य केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय सरकारी सामजिक योजनाओं का उपयोग कैसे किया जाये।

६- **न्यूनतम १५ माह का निकट/घनिष्ट सहयोगः** जैसे ही स्वयं सहायता समूहों का गठन पूर्ण होगा, संसाधन संगठनों के लिए उनकी सभाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना अभीष्ट होगा। संसाधन संगठन अपने साथ बैकरों को, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को, कम से कम २ वर्ष पुराने सुस्थापित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को, (आपसी ज्ञान हेतु) स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ परस्पर अन्त क्रिया करने के लिए इन सभाओं में लायेंगें (एस.एच.जी व संघ स्तर पर) इस चरण में संसाधन संगठन क्षमता संवर्धन का कार्य भी करेंगे और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एन.यू.एल.एम के अर्न्तगत उपलब्ध लाभों के उपभोग हेतु प्रोत्साहित करेंगे। सामुदायिक संगठनकर्ताओं को उनके द्वारा सहायतित स्वयं सहायता समूहों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेंगे। स्वयं सहायता समूह के गठन के एक माह के भीतर उस प्रत्येक समूह का बैंक खाता खुलवाने में मदद की जायेगी जिसका बैंक खाता न हो।

७- **१५-२४ माह के मध्य सहायता की समाप्तिः** इस दौरान संसाधन संगठनों से ये उम्मीद की जायेगी की वे अपने सक्रिय सहयोग को उन स्वयं सहायता समूहों से वापस ले लें जिनका प्रदर्शन संतोषजनक हो। इस चरण में निगरानी का स्तर बढ़ा दिया जायेगा और २४ माह के अन्त में इन सहायतित स्वयं सहायता समूहों का विशिष्ट एवं गहन मूल्यांकन, सामुदायिक संगठनकर्ताओं के साथ मिलकर किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर हो चुके हैं या नहीं। संसाधन संगठन ये भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं सहायता समूहों का संघीकरण क्षेत्र स्तरीय संघो में हो जाये और ये समूह अपनी क्षमता संवर्धन हेतु क्षेत्र स्तरीय संघो तथा नगर स्तरीय संघो के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर कार्य करें।

८- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के यूआईडी नामांकन करवाने, सामान्य बचत खाते खुलवाने एवं ऋण संबंधी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने सहित प्रासंगिक सरकारी योजनाओं के साथ परोक्ष रूप से अभिसरण करना।

वर्ग र :- निगरानी एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एक प्रक्रिया वर्धित मिशन है जो प्राप्त की गई गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपलब्धियों का विभिन्न स्तरों पर पुनराविलोकन करेगा और इससे सीखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसके लिए एक सशक्त सूचना एवं तकनीकी आधारित निगरानी व मूल्यांकन सम्बंधी प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आइ.एस) स्थापित की जायेगी जो प्रत्येक स्तर पर सुविज्ञ निर्णयन प्रक्रिया को सहायता उपलब्ध करायेगी। राज्य नगरीय आजीविका मिशन, राज्य मे कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी हेतु विभिन्न तंत्र स्थापित करेंगे। जिसमें ये सम्मिलित होंगे-

१- स्वयं सहायता समूहों की जबावदेही जिसमें सांस्थानिक स्व-निगरानी प्रक्रियाओं की आन्तरिक सम्परीक्षा और स्थानीय सामाजिक सम्परीक्षा शामिल होंगे।

२- एम.आइ.एस आधारित निवेश निर्गम निगरानी।

३- स्वतंत्र सामाजिक सम्परीक्षा व तृतीय/अन्य पक्षीय मूल्यांकन।

४- आधार रेखीय/जमीनी मूल्यांकन द्वारा प्रभाव मूल्यांकन और मुख्य परिणामी सूचकों पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।

५- वार्षिक आख्या/रिपोर्ट

६- विभिन्न स्तरों पर आन्तरिक पुनरीक्षण व्यवस्था जिसमें मासिक/त्रैमासिक योजना प्रगति आख्या, कर्मचारियों/अधिकाारियों द्वारा कार्यक्षेत्र निरीक्षण, संयुक्त अर्ध-वार्षिक/वार्षिक पुनरीक्षण, कार्यशालाओं एवं अभिसरण सभाओं तथा समन्वय समितियों का पुनराविलोकन।

संलग्नक :-५ एनयूएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को आवर्ती कोष से सहायता हेतु आवेदन

एनयूएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को आवर्ती कोष से सहायता हेतु आवेदन (आपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें)												
आवेदन संख्या	आवेदन तिथि	स्वयं सहायता समूह का नाम	पिन कोड/फोन न० सहित पूरा पता	लैण्डमार्क	एसएचजी के गठन की तिथि	बैक खाता खुलवाने की तिथि	बैक खाता संख्या	बैक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता		
एसएचजी के पदाधिकारियों का विवरण				द्वारा पृष्ठांकित		द्वारा पृष्ठांकित		द्वारा सम्पूर्ण रुप से पृष्ठांकित		अनुमोदित		एस०एच०जी को आवर्ती कोष राशि निर्गत किये जाने की तिथि
अध्यक्ष	नाम	हस्ताक्षर	फोन न०	संसाधन संगठन/समन्वयक		सी०एम०एम०यू० प्रतिनिधि		सक्षम य०ूएल०बी० प्राधिकारी		अस्वीकृत		
				नाम		नाम		नाम				
सचिव	नाम	हस्ताक्षर	फोन न०	हस्ताक्षर		हस्ताक्षर		हस्ताक्षर				
				फोन न०		फोन न०		फोन न०				
कोषाध्यक्ष	नाम	हस्ताक्षर	फोन न०	तिथि		तिथि		तिथि				

संलग्नक :– ६ एनयूएलएम के तहत क्षेत्र स्तरीय संघ को आवर्ती कोष से सहायता हेतु आवेदन

एनयूएलएम के तहत क्षेत्र स्तरीय संघ को आवर्ती कोष से सहायता हेतु आवेदन (आपेक्षित दस्वावेज संलग्न करें)												
आवेदन संख्या	आवेदन तिथि	क्षेत्र स्तरीय संघ का नाम	पिन कोड/फोन न० सहित पूरा पता	लैण्डमार्क	एएलएफ के गठन की तिथि	बैंक खाता खुलवाने की तिथि	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	पंजीकरण की तिथि	
क्षेत्र स्तरीय संघ के पदाधिकारियों का विवरण				द्वारा पृष्ठांकित		द्वारा पृष्ठांकित		द्वारा सम्पूर्ण पृष्ठांकित		अनुमोदित	☐	ए०एल०एफ को आवर्ती कोष राशि निर्गत किये जाने की तिथि
अध्यक्ष	नाम	हस्ताक्षर	फोन न०	संसाधन संगठन/समन्वयक		सी०एम०एम०यू प्रतिनिधि		सक्षम यू०एल०बी प्राधिकारी		अस्वीकृत	☐	
				नाम		नाम		नाम				
सचिव	नाम	हस्ताक्षर	फोन न०	हस्ताक्षर		हस्ताक्षर		हस्ताक्षर				
				फोन न०		फोन न०		फोन न०				
कोषाध्यक्ष	नाम	हस्ताक्षर	फोन न०	तिथि		तिथि		तिथि				

संलग्नक :-७ नगर आजीविका केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव विवरण

राज्य शहरी आजीविका मिशन को स्थानीय नगर निकाय द्वारा दिये गये प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:-

१- नगर पालिका का नाम

२- नगर पालिका में कुल वार्डों की संख्या

३- नगर पालिका के अर्न्तगत कुल स्लम/मलिन बस्तियां

अ- आधिकारिक   ब- अचिह्नित

४- नगर आजीविका केन्द्र द्वारा कवर किये जाने वाले वार्ड/वार्डों के नाम

५- क्षेत्र की कुल जनसंख्या

६- क्षेत्र में आच्छादित शहरी गरीबों की कुल संख्या

७- नगर आजीविका केन्द्र द्वारा कवर किये जाने वाले संभावित सदस्यों की संख्यां

८- क्षेत्र में नगर आजीविका केन्द्र द्वारा प्रदान की जा सकने वाली संभावित प्रमुख सेवाएं

९- क्षेत्र में नगर आजीविका केन्द्र के विकास की संभावनायें

१०- स्थानीय नगर निकाय द्वारा नगर आजीविका केन्द्र को उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान का विवरण

अ- क्षेत्र

ब- अवस्थिति

स- क्या जगह स्थानीय नगर निकाय कार्यालय के निकट है-

११- नगर आजीविका केन्द्र को सुविधाओं की योजना-संसाधन एजेंसी/स्थानीय नगर निकाय

१२- प्रस्ताव तैयार करने वाले का नाम

१३- प्रस्ताव मूल्यांकित करने वाले का नाम

१४- अग्रसारित करने वाले प्राधिकारी का पद एवं नाम

१५- नगर आजीविका केन्द्र की व्यापार योजना- ब्रेक इवेन प्वाइंट तथा व्यवहार्यता